



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30042024-253941
CG-DL-E-30042024-253941

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 26, 2024/वैशाख 6, 1946

No. 116]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 26, 2024/VAISAKHA 6, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2024

प्रारंभिक निष्कर्ष

मामला संख्या: एडी (ओआई) -16/2023

विषय : चीन पीआर, कोरिया आरपी, मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान, थाईलैंड में उत्पन्न या निर्यात किए गए "पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट राल" के आयात से संबंधित पाटन रोधी जांच में प्रारंभिक निष्कर्ष।

फा. सं. 6/17/2023-DGTR.—समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में भी संदर्भित) और समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित की गई वस्तुओं पर पाटन रोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह और क्षति के निर्धारण के लिए) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है (इसके बाद "एडी नियम" के रूप में संदर्भित);

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. केम्पलास्ट सनमार लिमिटेड (इसके बाद 'आवेदक' या 'घरेलू उद्योग' के रूप में संदर्भित) ने समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और पाटन रोधी नियम, 1995

(इसके बाद नियम के रूप में संदर्भित) के अनुसार नामित प्राधिकारी (इसके बाद 'प्राधिकरण' के रूप में संदर्भित) के समक्ष चीन जन. गण., कोरिया आरपी, मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान और थाईलैंड (इसके बाद 'विषय देशों' के रूप में भी संदर्भित) 'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेसिन' (इसके बाद 'विचाराधीन उत्पाद' या 'विषय वस्तु' या 'पीयूसी' के रूप में भी संदर्भित) के आयात से संबंधित पाटन रोधी जांच की शुरुआत के लिए एक आवेदन दायर किया था।

2. प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथम दृष्टया *साध्य के आधार पर*, अधिसूचना संख्या 06/17/2023-डीजीटीआर दिनांक 30 सितंबर 2023 के माध्यम से एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जो भारत के राजपत्र – असाधारण में प्रकाशित हुआ, जिसमें अस्तित्व का निर्धारण करने के लिए नियमों के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9ए के अनुसार विषय जांच शुरू की गई, (ग) संबंधित देशों में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विषय-वस्तु माल के कथित पाटन की मात्रा और प्रभाव तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करना, जो यदि लगाया जाता है, तो घरेलू क्षति की कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

ख. प्रक्रिया

3. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:
- क. प्राधिकरण ने नियमों के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने की कार्यवाही शुरू करने से पहले भारत में संबंधित देशों के दूतावासों को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में अधिसूचित किया।
- ख. प्राधिकरण ने भारत के राजपत्र – असाधारण में प्रकाशित 30 सितंबर 2023 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें संबंधित देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात से संबंधित पाटन जांच शुरू की गई।
- ग. प्राधिकरण ने दीक्षा अधिसूचना की एक प्रति भारत में विषय देशों के दूतावासों, संबंधित देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और अन्य इच्छुक पाटयों को घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-मेल पत्तों के अनुसार भेजी। इच्छुक पक्षों से अनुरोध किया गया था कि वे दीक्षा अधिसूचना में निर्धारित प्रपत्र और तरीके से प्रासंगिक जानकारी प्रदान करें और दीक्षा अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपनी प्रस्तुतियों को ज्ञात करें।
- घ. प्राधिकरण ने नियमों के नियम 6(3) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा भारत में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और संबद्ध देशों के दूतावासों को दायर आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण की एक प्रति प्रदान की।
- ङ. भारत में विषय देशों के दूतावासों से भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने-अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को दीक्षा अधिसूचना में निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली पर अपने उत्तर प्रस्तुत करने की सलाह दें। संबंधित देशों के दूतावासों को उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी भेजी गई थी जिसमें संबंधित देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पते भी भेजे गए थे।
- च. प्राधिकरण ने रसायन और पेट्रोसायन विभाग सहित इच्छुक पार्टियों को एक आर्थिक हित प्रश्नावली (इसके बाद 'ईआईक्यू' के रूप में संदर्भित) भी जारी की, जिसमें प्रस्तावित कर्तव्यों के आर्थिक प्रभाव पर इनपुट मांगे गए। वर्तमान निर्धारण के उद्देश्य से सभी पक्षों से प्राप्त सूचनाओं पर विचार किया गया है।
- छ. प्राधिकरण ने नियमों के नियम 6(4) के अनुसार संबंधित देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी।

क्र.सं.	विषय देश	निर्माता/निर्यातक
1	चीन जन. गण.	I. हेबै वेइहांग बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
		II. हेनान फेंगबाई औद्योगिक कंपनी लिमिटेड
		III. शांक्सी सॉलिड इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
		IV. शेनयांग केमिकल कंपनी लिमिटेड
		V. ताइनजिन बोहाई केमिकल इंडस्ट्रीज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन
		VI. टियांजिन केमिकल प्लांट लिमिटेड
2	कोरिया आरपी	I. ब्रिकॉन कंपनी लिमिटेड

		II. जीपी कंपनी लिमिटेड
		III. हनहवा केमिकल्स लिमिटेड
		IV. मेसर्स हनहवा सॉल्यूशंस केमिकल लिमिटेड
		V. एलजी केम लिमिटेड
		VI. सेनो लॉजिक्स कंपनी लिमिटेड
3	मलेशिया	I. कनेका पेस्ट पॉलिमर एसडीएन बीएचडी
		II. एमके रिसोर्सेज कंपनी लिमिटेड
		III. पीटी जैसिंडो
		IV. सन ऐस काकोह (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी
4	नॉर्वे	I. इनोविन यूरोप लिमिटेड
5	ताइवान	I. सेंटरी फेथ इंडस्ट्रियल लिमिटेड
		II. ओशन प्लास्टिक कंपनी लिमिटेड
		III. YAOI फैब्रिक कंपनी लिमिटेड
6	थाईलैंड	I. ग्राम्स इंटरनेशनल लिमिटेड
		II. नावा रसायन
		III. निज़ा प्लास्टिक कंपनी लिमिटेड
		IV. थाई पॉलीथीन कंपनी लिमिटेड

ज. उपर्युक्त अधिसूचना के प्रत्युत्तर में, संबंधित देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने खुद को इच्छुक पार्टियों के रूप में पंजीकृत किया है:

क्र.सं.	विषय देश	निर्माता/निर्यातक
1	चीन जन. गण.	I. सीएनएसआईजी जिलंताई क्लोर-अल्कली केमिकल कंपनी लिमिटेड
		II. चाइना साल्ट केमिकल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
		III. सीएनएसआईजी इनर मंगोलिया सोडियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
		IV. सीएनएसजी जिलंताई पॉलिमर सामग्री कं, लिमिटेड
		V. तियानवेई केमिकल कंपनी लिमिटेड
		VI. ग्रैंड डिग्रीटी इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
		VII. फॉर्मोसा इंडस्ट्रीज (निंगबो) कंपनी लिमिटेड
		VIII. ऑर्डोस जुनझेंग एनर्जी एंड केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
		IX. लिंकलैंड एंटरप्राइज शंघाई कं, लिमिटेड
		X. शेनयांग केमिकल कंपनी लिमिटेड
2	कोरिया आरपी	क. एलजी केम लिमिटेड
		ख. मेसर्स हनवा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन
3	मलेशिया	कनेका पेस्ट पॉलिमर एसडीएन बीएचडी

4	नॉर्वे	इनोविन यूरोप लिमिटेड
5	ताइवान	फॉर्मोसा प्लास्टिक कॉर्पोरेशन

- झ. विषयाधीन देशों के उत्पादकों/निर्यातकों जिन्होंने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है अथवा जांच में सहयोग नहीं किया है, को जांच में असहयोगी माना गया है।
- ञ. प्राधिकरण ने भारत में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली भी भेजकर नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगी है।

क्र.सं.	उपयोगकर्ता/आयातक
1	एसी पॉलीकोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2	अग्रिम अणु
3	अग्रवाल कोटेड फैब प्राइवेट लिमिटेड
4	अक्षत प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
5	अरोडा विनाइल प्राइवेट लिमिटेड
6	एवी यूनिकोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
7	एवीआर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
8	कोको टफ्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
9	कोलेस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
10	फ्लोर गार्डन
11	एचआर पॉलीकोट्स प्राइवेट लिमिटेड
12	इंटरनेशनल कन्वेयर लिमिटेड
13	जस्च इंडस्ट्रीज लिमिटेड
14	जेपी पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड
15	केराफाइबरटेक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
16	क्लासिक लैमाइटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
17	एलएफसी टेक्सकोट प्राइवेट लिमिटेड
18	मनीष विनाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
19	मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड
20	एमएम9 पॉलीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
21	न्यूवे एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
22	ओम विनाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
23	ओसवाल पॉलीकेम प्राइवेट लिमिटेड
24	प्रीमियर पॉलीफिल्म लिमिटेड
25	प्राइम पॉलीकेम प्राइवेट लिमिटेड
26	राज ओवरसीज

27	रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड
28	एसडी इंटरनेशनल
29	एसआर पॉलीविनाइल लिमिटेड
30	एसआरएफ लिमिटेड
31	टीपी पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड
32	ज़ैबुन्को इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

ट. भारत में निम्नलिखित आयातकों/उपयोगकर्ताओं ने खुद को इच्छुक पार्टियों के रूप में पंजीकृत किया है:

क्र.सं.	भारत में विचाराधीन उत्पाद का उपयोगकर्ता/आयातक
1	एसी पॉलीकोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2	अरिटास विनाइल प्राइवेट लिमिटेड
3	अरोडा विनाइल प्राइवेट लिमिटेड
4	एवी यूनिकोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
5	बीता पॉली कोट्स प्राइवेट लिमिटेड
6	डिलाइट कलेक्शंस प्राइवेट लिमिटेड
7	जस्च इंडस्ट्रीज लिमिटेड
8	क्लासिक लैमाइटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
9	मार्वल विनाइल्स लिमिटेड
10	मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड
11	पोलिनोवा इंडस्ट्रीज लिमिटेड
12	प्रीमियर पॉली फिल्म लिमिटेड
13	प्रेरणा रेक्स प्राइवेट लिमिटेड
14	प्रेरणा रेक्स प्राइवेट लिमिटेड
15	आरएमजी पॉलीविनाइल इंडिया लिमिटेड
16	शिव पॉलिमर्स

- ठ. इच्छुक पार्टियों को पीयूसी के दायरे पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने और पीसीएन का प्रस्ताव देने का अवसर दिया गया, यदि आवश्यक हो, तो गैर-गोपनीय संस्करण आवेदन के प्रचलन की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर जो 4 नवंबर 2023 को समाप्त हो गया। कुछ इच्छुक पार्टियों की प्रस्तुतियों के आधार पर, पीसीएन पद्धति की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए 1 दिसंबर 2023 को एक बैठक आयोजित की गई थी।
- ड. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से क्षति की जांच अवधि और जांच की अवधि के लिए संबंधित माल के आयात का लेन-देन-वार ब्यौरा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकरण द्वारा इसे प्राप्त कर लिया गया है और इस प्रारंभिक निष्कर्ष में इस पर विचार किया गया है।
- ढ. गैर-हानिकारक मूल्य (इसके बाद 'एनआईपी' के रूप में संदर्भित) का निर्धारण भारत में उत्पादन की लागत और विषय वस्तुओं के उचित लाभों के आधार पर किया गया है, जो आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) और एडी नियम, 1995 के अनुलग्नक III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटन रोधी शुल्क घरेलू उद्योग को नुकसान को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

- ण. वर्तमान जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि (इसके बाद 'पीओआई' के रूप में संदर्भित) 1 अप्रैल 2022 से मार्च 2023 (12 महीने) है। क्षति विश्लेषण अवधि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 और पीओआई को कवर करती है।
- त. प्राधिकरण ने 7 सितंबर 2018 की व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के माध्यम से निर्धारित तरीके से आपसी आधार पर विभिन्न इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के गैर-गोपनीय संस्करण को उपलब्ध कराया। इच्छुक पाठ्यों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना/प्रस्तुतियों की ऐसे गोपनीयता दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। इच्छुक पक्षों द्वारा दायर गोपनीयता दावों की पर्याप्तता के बारे में संतुष्ट होने पर, प्राधिकरण ने ऐसी जानकारी/प्रस्तुतियों को गोपनीय माना है। गोपनीयता के दावों को स्वीकार न करने के मामले में, इच्छुक पार्टियों को उसी का गैर-गोपनीय संस्करण प्रस्तुत करने और इसे अन्य इच्छुक पार्टियों को प्रसारित करने का निर्देश दिया गया था।
- थ. इस दस्तावेज में '****' एक इच्छुक पार्टी द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई जानकारी का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए नियम 7 के तहत प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाता है।
- द. प्राधिकरण ने इस स्तर पर सभी इच्छुक पक्षों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और प्रदान की गई जानकारी पर विचार किया है, जहां तक उन्हें साक्ष्य के साथ समर्थित किया गया है और वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक माना जाता है। प्राधिकरण प्रारंभिक निष्कर्षों के बाद इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजों की आगे जांच करेगा, जो अंतिम निष्कर्षों के समय निष्कर्ष का आधार बनेंगे।
- ध. प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि (अप्रैल 2022 – मार्च 2023) के लिए विनिमय दर 1 US\$=Rs 81.06 है
- न. घरेलू उद्योग ने प्राधिकरण के समक्ष अपनी प्रस्तुतियों में, घरेलू उद्योग की गंभीर वित्तीय स्थिति, वित्तीय और नकद हानियों, नकारात्मक वित्तीय योगदान और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक रिटर्न सहित बढ़ते घाटे पर जोर दिया। इसलिए, इसने प्राधिकरण से अंतिम निर्धारण लंबित रहने तक अंतरिम उपायों की सिफारिश करने का अनुरोध किया।
- प. इसलिए, अधिनियम की धारा 9क (2) और नियमावली के नियम 12 के अनुसरण में, स्वयं को संतुष्ट करने के बाद कि इसका समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त विस्तृत जानकारी मौजूद है, प्राधिकरण ये प्रारंभिक निष्कर्ष जारी कर रहा है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और लेख की तरह

4. आरंभ के चरण में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद इस प्रकार था:

"3. वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद 'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट राल' है, जिसे इमल्शन पीवीसी राल भी कहा जाता है।

4. पीवीसी पेस्ट राल विनाइल क्लोराइड मोनोमर का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है और आमतौर पर सफेद / ऑफ-व्हाइट पाउडर के रूप में बेचा जाता है। पीयूसी का उपयोग मुख्य रूप से कृत्रिम चमड़े के निर्माण के लिए किया जाता है और उत्पाद के अन्य उपयोग रेकसीन, लेपित कपड़े, तिरपाल, कन्वेयर बेल्टिंग, खिलौने, ऑटोमोटिव सीलेंट, चिपकने वाले और दस्ताने के निर्माण में होते हैं।

5. निम्नलिखित उत्पादों को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया है:

- क. 60K से कम K मान के साथ विचाराधीन उत्पादन
- ख. पीवीसी सम्मिश्रण राल
- ग. पीवीसी पेस्ट राल के सह-पॉलिमर
- घ. बैटरी विभाजक रेजिन

6. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 के तहत टैरिफ वर्गीकरण के उपशीर्षक 390410 के तहत वर्गीकृत किया गया है और आईटीसी एचएस कोड 39041010 के तहत एक

समर्पित वर्गीकरण है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और प्रस्तावित जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ग.1 विरोधी हितबद्ध पक्षों की ओर से प्रस्तुतियाँ

5. विरोधी इच्छुक पार्टियों ने विचाराधीन उत्पाद और लेख की तरह निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

- क. इनोविन यूरोप लिमिटेड ने मालिकाना नाम 'बायोविन' के साथ एक विशेष प्रकार के पर्यावरण के अनुकूल पीवीसी पेस्ट राल के बहिष्कार का अनुरोध किया, जो पूरी तरह से नवीकरणीय कार्बन फीडस्टॉक से बना है और आरएसबी (सस्टेनेबल बायोमैटेरियल्स पर गोलमेज सम्मेलन) मानकों के अनुपालन के रूप में एक बाहरी लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित है। कच्चे माल की उच्च लागत और प्रमाणन आदि जैसी अतिरिक्त लागतों के कारण, बायोविन पीवीसी पेस्ट के अन्य रूपों की तुलना में काफी अधिक कीमतों पर बेचता है।
- ख. घरेलू उद्योग पीवीसी पेस्ट रेजिन की विस्तृत श्रृंखला का एक छोटा सबसेट तैयार करता है, जिस पर शुल्क मांगा जा रहा है।
- ग. घरेलू उद्योग द्वारा विनिमत ग्रेडों की तुलना कई महत्वपूर्ण आधारों पर आयातित उत्पाद के साथ नहीं की जा सकती है और अनेक प्रमुख पैरामीटरों पर दोनों के बीच कोई आधार नहीं है।
- घ. विचाराधीन उत्पाद अलग-अलग ग्रेड में उत्पादित होता है, जो उत्पाद के K- मूल्य द्वारा निर्धारित होता है। उत्पाद की कीमत भी उसके ग्रेड के आधार पर भिन्न होती है। इसलिए, पीसीएन को के-मान के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
- ङ. फास्ट जेलेशन, कम फॉगिंग गुण, उत्कृष्ट फोर्मिंग गुण, उत्कृष्ट वायु रिलीज संपत्ति, उच्च भराव स्वीकृति ग्रेड, उच्च थिक्सोट्रोपिक ग्रेड, उत्कृष्ट थर्मल स्थिरता, उत्कृष्ट यांत्रिक गुण ग्रेड आदि पीसीएन के कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं और पीसीएन पद्धति के लिए विचार किया जाना चाहिए।
- च. चिपचिपाहट विचाराधीन उत्पाद के लिए एक प्रासंगिक कारक है और उत्पाद को उच्च, निम्न और मध्यम चिपचिपाहट के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- छ. विचाराधीन उत्पाद के लिए एक समपत सीमाशुल्क वर्गीकरण है और टैरिफ शीर्ष 3904 के अंतर्गत आने वाली सभी मदों पर 75% की सीमा शुल्क लगाया गया है। निर्यातों के गलत वर्गीकरण का कोई कारण नहीं है।
- ज. यदि व्यापक शीर्षक 3904 पर शुल्क लगाया जाता है, तो इससे पाटन रोधी शुल्क के आकलन के समय अनावश्यक अस्पष्टता और भ्रम पैदा होगा। चूंकि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है, भले ही पीवीसी पेस्ट राल को किसी अन्य टैरिफ शीर्षक के तहत आयात किया जाता है, फिर भी यह पाटन रोधी शुल्क के अधीन होगा।

ग.2 घरेलू उद्योग की ओर से दी गई प्रस्तुतियाँ

6. घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में और 1 दिसंबर 2023 को आयोजित उत्पाद के दायरे पर सुनवाई में, विचाराधीन उत्पाद के दायरे और इसी तरह के लेख के संबंध में निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

- क. पीवीसी पेस्ट राल, विनाइल क्लोराइड मोनोमर के पोलिमराइजेशन द्वारा निर्मित, एक सफेद / ऑफ-व्हाइट पाउडर के रूप में बेचा जाता है। यह मुख्य रूप से कृत्रिम चमड़े के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। उत्पाद के अन्य उपयोग रेक्सीन, लेपित कपड़े, तिरपाल, कन्वेयर बेल्टिंग, खिलौने, ऑटोमोटिव सीलेंट, चिपकने वाले और दस्ताने में हैं।
- ख. घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के साथ तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य है और इसलिए 'समान वस्तु' का गठन करता है।
- ग. विचाराधीन उत्पाद को 39041010 के अंतर्गत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, उत्पाद का आयात विभिन्न अन्य संहिताओं के अंतर्गत भी किया गया है।

- घ. उत्पाद के ग्रेड के-मूल्य के आधार पर प्रतिष्ठित हैं। हालांकि, घरेलू उद्योग का कहना है कि लागत और कीमत ग्रेड के साथ महत्वपूर्ण रूप से भिन्न नहीं होती है। हालांकि, घरेलू उद्योग के पास कोई आरक्षण नहीं है यदि पीसीएन को उच्च के-मूल्य और मध्यम के-मूल्य के रूप में प्रस्तावित किया जाता है।
- ङ. मैसर्स इनोविन यूरोप लिमिटेड और मैसर्स इनोविन नोर्ज एएस द्वारा निमत बायोविन को उपयुक्त बेंचमार्क मूल्य के अध्यक्षीन वर्तमान जांच के लिए उत्पाद क्षेत्र से बाहर रखा जा सकता है जिसे बायोविन के लिए घोषित मूल्यों पर विचार करते हुए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

ग.3 प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

7. विचाराधीन उत्पाद और इसी तरह के लेख के संबंध में विरोधी इच्छुक पार्टियों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण की जांच की गई है और यहां संबोधित किया गया है।

पीसीएन पद्धति

8. विरोधी पक्षों द्वारा किए गए सबमिशन के आधार पर, विचाराधीन उत्पाद के दायरे और 1 दिसंबर 2023 को पीसीएन की आवश्यकता के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक से पहले टिप्पणियां दायर करने वाले इच्छुक पक्षों को उनके द्वारा प्रस्तावित पीसीएन पद्धति को सही ठहराते हुए प्रस्तुतियाँ करने का अवसर दिया गया था। इच्छुक पक्षों को सूचित किया गया था कि प्राधिकरण बैठक के बाद कोई और टिप्पणी नहीं मांगेगा और पीसीएन पद्धति पर निर्णय रिकॉर्ड पर दी गई जानकारी पर आधारित होगा। जहां कहीं स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी, प्राधिकरण ने इच्छुक पार्टियों से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए कहा।
9. प्राधिकरण ने पीसीएन पद्धति के संबंध में किए गए प्रस्तुतियों की जांच की। यह देखा जाता है कि "सीएनएसआईजी जिलंताई क्लोर-अल्कली केमिकल कंपनी लिमिटेड", "सीएनएसआईजी इनर मंगोलिया सोडियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड", "सीएनएसजी जिलंताई पॉलिमर मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड" और "चाइना साल्ट केमिकल ट्रेडिंग कं, लिमिटेड" ने के-वैल्यू, पोलीमराइजेशन, स्पष्ट घनत्व, अस्थिरता आदि के आधार पर पीसीएन पद्धति का अनुरोध किया था। हालांकि, निर्यातकों ने यह स्थापित नहीं किया है कि इन खातों पर लागत और कीमतें कैसे भिन्न होती हैं। हनवा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन ने ग्रेड या के-वैल्यू के आधार पर पीसीएन पद्धति का अनुरोध किया था, लेकिन लागत और मूल्य अंतर के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इसने आगे कहा कि ग्रेडवार तुलना के गैर-प्रस्ताव के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे को खारिज कर दिया जाना चाहिए। प्राधिकरण आगे नोट करता है कि के-वैल्यू को पिछली जांच में पीसीएन पैरामीटर माना गया था।
10. प्राधिकरण नोट करता है कि पीसीएन पद्धति तैयार करते समय प्राधिकरण द्वारा कतिपय प्रयोक्ताओं द्वारा पीयूसी/पीसीएन पर की गई टिप्पणियों पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि इन प्रयोक्ताओं ने प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया था और टिप्पणियां किसी भी विचार के योग्य होने के लिए बहुत देर से दायर की गई थीं।
11. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने के-मान के आधार पर पीसीएन को अपनाया। इसे 18 जनवरी 2024 के अपने संचार के माध्यम से इच्छुक पार्टियों को अधिसूचित किया गया था जिसे डीजीटीआर की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित पीसीएन पद्धति अपनाई गई है:

क्र.सं.	पीसीएन पैरामीटर	श्रेणी	कोड
1	के-मान	60-70	मध्यम
2		70 से ऊपर	उच्च

क. इनोविन यूरोप लिमिटेड द्वारा निर्मित बायोविन का बहिष्करण

12. प्राधिकरण ने पक्षकारों की प्रस्तुतियों की जांच की। यह देखा गया है कि बायोविन के लिए बिक्री मूल्य सामान्य पीवीसी पेस्ट राल की तुलना में काफी अधिक है। घरेलू उद्योग ने भी उपयुक्त बेंचमार्क मूल्य के अध्यक्षीन उत्पाद को शामिल नहीं करने की बात स्वीकार की है। हालांकि, प्राधिकरण, इस स्तर पर, मानता है कि इनोविन यूरोप लिमिटेड द्वारा उत्पादित ब्रांड "बायोविन" विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है।

ख. विचाराधीन उत्पाद के सीमा शुल्क वर्गीकरण के संबंध में

13. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क वर्गीकरण के उपशीर्षक 390410 के तहत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 के तहत वर्गीकृत किया गया है और आईटीसी एचएस कोड 39041010 के तहत एक समर्पित वर्गीकरण है। प्राधिकरण ने डीजीसीआईएस डीजी सिस्टम्स से लेनदेन-दर-लेनदेन डेटा मांगा और पाया कि एक समर्पित कोड 39041010 होने के बावजूद, विचाराधीन उत्पाद के आयात को विभिन्न एचएस कोड के तहत रिपोर्ट किया गया है। इसलिए, इन अनंतिम उपायों के प्रयोजन के लिए, प्राधिकरण ने निम्नलिखित एचएस कोड पर भी विचार किया है:

क्र.स.	एचएस कोड
1.	39041010
2.	39041020
3.	39041090
4.	39042100
5.	39042200
6.	39043010
7.	39043090
8.	39049000
9.	39044000
10.	39049090

14. इसलिए, प्राधिकरण अनंतिम रूप से मानता है कि विचाराधीन उत्पाद वही है जो दीक्षा अधिसूचना में परिभाषित किया गया था।

3. वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद 'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट राल' है, जिसे इमल्शन पीवीसी राल भी कहा जाता है।

4. पीवीसी पेस्ट राल विनाइल क्लोराइड मोनोमर का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है और आमतौर पर सफेद / ऑफ-व्हाइट पाउडर के रूप में बेचा जाता है। पीवीसी का उपयोग मुख्य रूप से कृत्रिम चमड़े के निर्माण के लिए किया जाता है और उत्पाद के अन्य उपयोग रेक्सीन, लेपित कपड़े, तिरपाल, कन्वेयर बेल्टिंग, खिलौने, ऑटोमोटिव सीलेंट, चिपकने वाले और दस्ताने के निर्माण में होते हैं।

5. निम्नलिखित उत्पादों को पीवीसी के दायरे से बाहर रखा गया है:

क. 60K से कम K मान के साथ विचाराधीन उत्पादन

ख. पीवीसी सम्मिश्रण राल

ग. पीवीसी पेस्ट राल के सह-पॉलिमर

घ. बैटरी विभाजक रेजिन

15. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबंधित देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के लिए वस्तु के समान है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन, और माल के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में विषय देशों से आयातित वस्तुओं के साथ तुलनीय है। दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। उपभोक्ताओं ने दोनों का परस्पर उपयोग किया है और कर रहे हैं। इस प्रकार, प्राधिकरण अनंतिम रूप से मानता है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद नियम 2 (डी) के संदर्भ में संबंधित देशों से भारत में आयात किए जा रहे विषय माल के समान वस्तु का गठन करता है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति**घ.1 विरोधी इच्छुक पक्षों की ओर से की गई प्रस्तुतियाँ**

16. विरोधी पक्षकारों ने घरेलू उद्योग और घरेलू उद्योग की स्थिति के मुद्दे पर कोई निवेदन नहीं किया है।

घ.2 घरेलू उद्योग की ओर से दी गई प्रस्तुतियाँ

17. आवेदक ने घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:

क. वर्तमान आवेदन चेम्पलास्ट सनमार लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।

ख. आवेदन फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा समर्थित है।

ग. आवेदक और समर्थक भारत में उत्पाद के एकमात्र निर्माता हैं।

घ. आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। यह किसी भी विषय देश में किसी भी उत्पादक/निर्यातक या भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित नहीं है।

घ.3 प्राधिकरण द्वारा परीक्षा।

18. पाटन रोधी नियमों के नियम 2 (बी) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"(ख) 'घरेलू उद्योग' से ऐसी वस्तु और उससे जुड़ी किसी गतिविधि के निर्माण में लगे हुए समग्र रूप से घरेलू उत्पादक अभिप्रेत हैं या वे जिनके सामूहिक उत्पादन में उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात है, सिवाय इसके कि जब ऐसे उत्पादक कथित डंप किए गए लेख के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों या स्वयं उसके आयातक हों, ऐसी स्थिति में 'घरेलू उद्योग' शब्द हो सकता है। बाकी उत्पादकों के संदर्भ में निर्माण किया जाना चाहिए।"

19. प्राधिकरण नोट करता है कि आवेदक, मैसर्स चेम्पलास्ट सनमार लिमिटेड, समर्थक, मैसर्स फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ मिलकर कुल भारतीय उत्पादन का 100% है।

20. यह भी देखा गया है कि आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। इसके अलावा, यह संबंधित देशों के किसी उत्पादक/निर्यातक से संबंधित नहीं है और भारत में विषय वस्तुओं के किसी भी आयातक से संबंधित नहीं है।

21. इसलिए, प्राधिकरण प्रारंभिक रूप से यह निष्कर्ष निकालता है कि आवेदक, मैसर्स चेम्पलास्ट सनमार लिमिटेड, नियमों के नियम 2 (बी) के अर्थ के भीतर 'घरेलू उद्योग' का गठन करता है और मानता है कि आवेदन नियम 5 (3) के संदर्भ में खड़े होने के मानदंडों को पूरा करता है।

ङ गोपनीयता**ङ.1 विरोधी इच्छुक पक्षों की ओर से की गई प्रस्तुतियाँ**

22. विरोधी इच्छुक पार्टियों ने गोपनीयता पर निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं।

क. फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के समर्थन पत्र को उत्पादन और बिक्री की प्रवृत्ति के बारे में जानकारी प्रदान किए बिना पूरी तरह से गोपनीय दावा किया गया है।

ङ 2 घरेलू उद्योग की ओर से दी गई प्रस्तुतियाँ

23. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के संबंध में निम्नानुसार प्रस्तुत किया है।

क. प्रश्नावली प्रतिक्रिया के गैर-गोपनीय संस्करण में गोपनीय जानकारी को पर्याप्त रूप से सारांशित करना आवश्यक है। हालांकि, भाग लेने वाले निर्माताओं द्वारा दायर गैर-गोपनीय प्रतिक्रियाओं को पर्याप्त रूप से सारांशित नहीं किया गया है।

ख. निर्माताओं ने ट्रेड नोटिस 10/2018 का उल्लंघन करते हुए जवाब दायर किया है और इसलिए, उनकी प्रतिक्रिया को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

- ग. फॉर्मोसा इंडस्ट्रीज (निंगबो) कं, लिमिटेड ने घरेलू या निर्यात बिक्री मूल्य में समायोजन की सूची, वितरण के चैनल, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री में लगे संबंधित पक्षों की सूची, कच्चे माल की सूची और उत्तर की सूचना नहीं दी है कि क्या कच्चा माल कैप्टिव रूप से खरीदा गया है।
- घ. शेनयांग केमिकल कं, लिमिटेड, और लिंकलैंड एंटरप्राइज शंघाई कं, लिमिटेड ने सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य में दावा किए गए समायोजन की सूची की सूचना नहीं दी है।
- ङ. (ख) मैसर्स थाई पोलीथीन कं, लि और टीपीसी पेस्ट रेजिन कंपनी लि ने घरेलू अथवा निर्यात बिक्री मूल्य, वितरण के चैनल, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री में लगे संबंधित पाटयों की सूची, कच्ची सामग्रियों की सूची और इस संबंध में उत्तर देने की सूचना नहीं दी है कि क्या कच्चा माल कैप्टिव रूप से खरीदा गया है।

ड.3 प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

24. प्राधिकरण ने व्यापार नोटिस 01/2020 (जैसा कि प्राधिकरण द्वारा अगली सूचना तक बढ़ाया गया है) के साथ पठित नियम 6 (7) और व्यापार नोटिस 10/2018 दिनांक 7 सितंबर 2018 के अनुसार विभिन्न इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराया।
25. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 में निम्नानुसार प्रावधान है:

"गोपनीय जानकारी: (1) नियम 6 के उप-नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उप-नियम (2), नियम 15 के उप-नियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में निहित किसी भी बात के बावजूद, नियम 5 के उप-नियम (1) के तहत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां, या जांच के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा गोपनीय आधार पर नामित प्राधिकरण को प्रदान की गई कोई अन्य जानकारी, नामित प्राधिकारी को उसकी गोपनीयता के बारे में संतुष्ट होने पर, उसके द्वारा ऐसा माना जाएगा और ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी अन्य पार्टी को ऐसी कोई जानकारी प्रकट नहीं की जाएगी।

(2) नामित प्राधिकारी गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षों से अपेक्षा कर सकता है कि वे उसका गैर-गोपनीय सारांश प्रस्तुत करें और यदि, ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष की राय में, ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, तो ऐसा पक्ष नामित प्राधिकारी को उन कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि संक्षेपण संभव क्यों नहीं है।

(3) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि अभिहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि गोपनीयता के अनुरोध की आवश्यकता नहीं है या सूचना का आपूतकर्ता या तो सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का इच्छुक नहीं है तो वह ऐसी सूचना की अवहेलना कर सकेगा।

26. प्राधिकरण इच्छुक पाटयों के गोपनीयता संबंधी दावों के संबंध में आवेदक द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण पर ध्यान देता है और उसका यह मत है कि इच्छुक पाटयों ने अपने एनसीवी संस्करणों में अपने उत्तरों में उन विशिष्ट शर्तों का भी खुलासा नहीं किया है जिनके तहत उनके द्वारा सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य पर पहुंचने के लिए समायोजन का दावा किया गया है। इच्छुक पार्टियों ने सरसरी तौर पर पूरी जानकारी को 'व्यापार संवेदनशील/स्वामित्व सूचना' के रूप में दावा किया है। अतः प्राधिकरण ऐसे दावों को अत्यधिक गोपनीय मानता है जिसने घरेलू उद्योग को इस पर कोई सार्थक टिप्पणी करने से रोका है।
27. प्राधिकरण सभी इच्छुक पार्टियों को ऊपर उल्लिखित उचित परिवर्तन करने के बाद संशोधित एनसीवी संस्करण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन

च.1 विरोधी इच्छुक पक्षों की ओर से की गई प्रस्तुतियाँ

28. विरोधी इच्छुक पार्टियों ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार, सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य के संबंध में निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:
- क. चीनी उत्पादकों की घरेलू कीमतों या लागतों की अवहेलना करने के लिए 15 साल का समय बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों पर नहीं होना चाहिए, जैसा कि डब्ल्यूटीओ में चीन जनवादी गणराज्य के प्रवेश के

प्रोटोकॉल के पैरा 15 (क) (ii) में प्रदान किया गया है, पैरा 15 (डी) के संदर्भ में 11 दिसंबर 2016 को समाप्त हो गया है।

- ख. मैसर्स फॉर्मोसा इंडस्ट्रीज (निंगबो) कं, लि ने बाजार अर्थव्यवस्था के उपचार/स्थिति का दावा किया है और तदनुसार बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति के लिए अनुपूरक प्रश्नावली दायर की है।
- ग. घरेलू उद्योग ने अपनी उत्पादन लागत अपनाकर सामान्य मूल्य को बढ़ा दिया है।

च. 2 घरेलू उद्योग की ओर से दी गई प्रस्तुतियाँ

29. घरेलू उद्योग ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार, सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य के संबंध में निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:

- क. भले ही अनुच्छेद 15 (ए) (ii) के प्रावधान समाप्त हो गए हों, विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को चीन जन. गण. में घरेलू कीमतों या लागतों पर विचार करने की आवश्यकता होती है, यदि जांच के तहत निर्माता स्पष्ट रूप से दिखा सकते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रचलित है अनुच्छेद 15 (ए) (i) के अनुसार उस उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग, जो वर्तमान मामले में चीनी उत्पादकों ने नहीं दिखाया है।
- ख. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश में वास्तविक बिक्री मूल्य या लागत का कोई सत्यापन योग्य सबूत उपलब्ध नहीं है।
- ग. विचाराधीन उत्पाद का अधिकांश देशों में कोई समपत कोड नहीं है और इसलिए इन देशों से आयात अथवा निर्यात मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

च.3 प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

बाजार अर्थव्यवस्था उपचार

30. प्राधिकरण मानता है कि फॉर्मोसा इंडस्ट्रीज (निंगबो) कं, लिमिटेड, चीन जन. गण. ने निर्णायक रूप से स्थापित नहीं किया है कि उपयोगिताओं से संबंधित इनपुट की कीमतें बाजार मूल्य के प्रतिबिंबित हैं। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि निर्यातक ने यह स्थापित करने के लिए कोई सूचना प्रदान नहीं की है कि कंपनी द्वारा भूमि और संयंत्र और मशीनरी के अधिग्रहण में किया गया निवेश इस संबंध में संभावित राज्य हस्तक्षेप के कारण विकृत नहीं हुआ था। प्राधिकरण का मानना है कि इन पैरामीटरों का उत्पादन की अंतिम लागत पर सीधा असर पड़ता है। यह देखा गया है कि कंपनी ने चीन के भीतर से कुछ ऋण लिया है। निर्यातक ने यह प्रदर्शित करने के लिए कोई जानकारी प्रदान नहीं की है कि इस खाते पर खर्च की गई लागत बाजार दरों को प्रतिबिंबित करती है। इसके अलावा, यह नोट किया गया है कि निर्यातक ने यह नहीं दिखाया है कि जिस भूमि पर संयंत्र स्थापित किया गया है, उसके अधिग्रहण में कोई सरकारी हस्तक्षेप था या नहीं।
31. इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि निर्यातक द्वारा प्रदान की गई जानकारी निर्णायक रूप से स्थापित नहीं करती है कि आउटपुट, बिक्री और निवेश की लागत सहित कीमतों, लागतों और इनपुट के संबंध में कंपनी के निर्णय, आपूर्ति और मांग को दर्शाते हुए बाजार संकेतों के जवाब में किए जाते हैं और इस संबंध में महत्वपूर्ण राज्य हस्तक्षेप के बिना। इसलिए, प्राधिकरण ने इस स्तर पर बाजार अर्थव्यवस्था उपचार के दावे को स्वीकार नहीं किया है, आगे की जांच लंबित है और वर्तमान प्रारंभिक निर्धारण के उद्देश्य से।
32. धारा 9 ए (1) (सी) के तहत, एक लेख के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:
- i) तुलनीय मूल्य, व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में, समान वस्तु के लिए, जब निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए हो, जैसा कि उप-धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया है, या
- ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं होती है, या जब विशेष बाजार की स्थिति या निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में बिक्री की कम मात्रा के कारण, ऐसी बिक्री उचित तुलना की अनुमति नहीं देती है, सामान्य मूल्य या तो होगा:

(क) ऐसी वस्तु का तुलनीय प्रतिनिधि मूल्य जब निर्यातक देश या राज्यक्षेत्र या किसी उपयुक्त तीसरे देश से निर्यात किया जाता है, जैसा कि उपधारा (6) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अवधारित किया गया हो; नहीं तो

मूल देश में उक्त लेख के उत्पादन की लागत प्रशासनिक, बिक्री, और सामान्य लागतों के लिए उचित जोड़ के साथ, और मुनाफे के लिए, जैसा कि उप-धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया है;

(ख) परन्तु मूल देश से भिन्न किसी देश से वस्तु के आयात की दशा में और जहाँ वस्तु केवल निर्यात के देश से होकर यानांतरण की गई है या ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं हुआ है या निर्यात के देश में कोई तुलनीय मूल्य नहीं है, सामान्य मूल्य मूल देश में उसकी कीमत के संदर्भ में अवधारित किया जाएगा।

33. प्राधिकरण नोट करता है कि विषय वस्तुओं के निम्नलिखित निर्यातकों ने निर्यातक की प्रश्नावली के जवाब दायर किए हैं: -

- क. फॉर्मोसा इंडस्ट्रीज (निंगबो) कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- ख. ग्रैंड डिग्रिटी इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- ग. शेनयांग केमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- घ. लिंकलैंड एंटरप्राइज शंघाई कं, लिमिटेड, चीन जन. गण.
- ङ. मैसर्स हनवा सोल्यूशन कॉर्पोरेशन, कोरिया आरपी
- च. कनेका पेस्ट पॉलिमर एसडीएन बीएचडी, मलेशिया
- छ. फॉर्मोसा प्लास्टिक कॉर्पोरेशन, ताइवान
- ज. थाई पॉलीथीन कं, लिमिटेड, थाईलैंड
- झ. टीपीसी पेस्ट रेज़िन कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड

34. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि चीन जन. गण. पहले विचाराधीन उत्पाद का शुद्ध आयातक था। कोविड के प्रकोप से पीवीसी आधारित दस्ताने की मांग में वृद्धि हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप चीन में महत्वपूर्ण क्षमता विस्तार हुआ था। हालांकि, दस्ताने की मांग कम होने के कारण, चीन में पीवीसी पेस्ट राल की घरेलू मांग में काफी गिरावट आई है।

35. यह भी दावा किया गया है कि चीन (शून्य कोविड नीति) और अन्य यूरोपीय देशों (मुद्रास्फीति के मुद्दों के कारण) में कपड़ा परिधान की मांग में गिरावट के कारण मांग आपूर्ति की स्थिति और बढ़ गई है।

च.3.1 विषय देशों से भाग लेने वाले उत्पादकों का बिक्री पैटर्न

36. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरण की जांच करने के लिए, प्राधिकरण ने प्रतिभागी उत्पादकों द्वारा दायर उत्तर की जांच की है। नीचे दी गई तालिका सभी प्रतिभागी उत्पादकों द्वारा दायर प्रतिक्रिया के आधार पर उनकी घरेलू बिक्री को दर्शाती है।

क्र.सं.	विशेष	यूओएम	2019	2020	2021	पीओआई
1	फॉर्मोसा इंडस्ट्रीज (निंगबो) कं, लिमिटेड	एमटी	***	***	***	***
		सामान्य प्रवृत्ति	100	105	113	113
2	शेनयांग केमिकल कंपनी लिमिटेड	एमटी	***	***	***	***
		सामान्य प्रवृत्ति	100	79	77	72
3	मेसर्स हनवा सोल्यूशन कॉर्पोरेशन	एमटी	***	***	***	***
		सामान्य प्रवृत्ति	100	112	97	91
4	कनेका पेस्ट पॉलिमर एसडीएन बीएचडी	एमटी	***	***	***	***
		सामान्य प्रवृत्ति	100	365	86	96

5	फॉर्मोसा प्लास्टिक कॉर्पोरेशन	एमटी	***	***	***	***
		सामान्य प्रवृत्ति	100	86	62	55
6	टीपीसी पेस्ट रेज़िन, लिमिटेड	एमटी	***	***	***	***
		सामान्य प्रवृत्ति	100	102	94	94

37. यह देखा गया है कि क्षति की अवधि में सभी उत्पादकों की घरेलू बिक्री में गिरावट आई है। घरेलू बिक्री में गिरावट घरेलू उद्योग के प्रस्तुत करने के साथ संबंधित है।

च.3.2 चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य

च.3.2.क चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

चीनी उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति

क. फॉर्मोसा इंडस्ट्रीज (निंगबो) कं, लिमिटेड, चीन जन. गण.

38. फॉर्मोसा इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण. ने पूरी प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर की है और मेट उपचार का दावा किया है।

39. डब्ल्यूटीओ में चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार प्रावधान है: "गैट 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते 1994 ("पाटन रोधी एग्रीमेंट") के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन पर समझौता और एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीनी मूल के आयात से संबंधित कार्यवाही में लागू होगा:

(क) गैट 1994 के अनुच्छेद VI और पाटनरोधी करार के तहत मूल्य तुलनीयता का निर्धारण करने में, डब्ल्यूटीओ का आयात करने वाला सदस्य या तो चीन के मूल्यों अथवा जांच के अधीन उद्योग के लिए लागतों अथवा ऐसी पद्धति का प्रयोग करेगा जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है, तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य तुलनीयता निर्धारित करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीनी कीमतों या लागतों का उपयोग करेगा;

(ii) आयात करने वाला डब्ल्यूओ सदस्य एक ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों या लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है यदि जांच के तहत उत्पादक स्पष्ट रूप से यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है।

(ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के तहत कार्यवाही में, अनुच्छेद 14 (ए), 14 (बी), 14 (सी) और 14 (डी) में वर्णित सब्सिडी को संबोधित करते समय, एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे; हालांकि, यदि उस आवेदन में विशेष कठिनाइयां हैं, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य सब्सिडी लाभ की पहचान करने और मापने के लिए कार्यप्रणाली का उपयोग कर सकते हैं जो इस संभावना को ध्यान में रखते हैं कि चीन में प्रचलित नियम और शर्तें हमेशा उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को चीन के बाहर प्रचलित नियमों और शर्तों के उपयोग पर विचार करने से पहले ऐसे प्रचलित नियमों और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-अनुच्छेद (ए) के अनुसार उपयोग की जाने वाली पद्धतियों को पाटन रोधी प्रथाओं पर समिति को सूचित करेगा और उप-अनुच्छेद (बी) के अनुसार उपयोग की जाने वाली पद्धतियों को सब्सिडी और काउंटरवेलिंग उपायों पर समिति को सूचित करेगा।

(घ) एक बार जब चीन डब्ल्यूटीओ सदस्य के आयात करने वाले राष्ट्रीय कानून के तहत यह स्थापित कर लेता है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप-पैराग्राफ (ए) के प्रावधानों को समाप्त कर दिया जाएगा बशर्ते

कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में परिग्रहण की तारीख के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था मानदंड शामिल हों। किसी भी स्थिति में, उप-अनुच्छेद (ए) (ii) का प्रावधान परिग्रहण की तारीख के 15 साल बाद समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा, चीन को आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसार स्थापित करना चाहिए, कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति किसी विशेष उद्योग या क्षेत्र में प्रबल होती है, उप-अनुच्छेद (ए) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रावधान अब उस उद्योग या क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे।

40. यह नोट किया जाता है कि जबकि अनुच्छेद 15 (ए) (ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गया है, विश्व व्यापार संगठन के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान, 15 (ए) (i) के तहत दायित्व के साथ पढा गया है, बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति का दावा करने के लिए पूरक प्रश्नावली में प्रदान की जाने वाली जानकारी/डेटा के माध्यम से नियमों के अनुलग्नक I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड को संतुष्ट करने की आवश्यकता है। प्राधिकरण ने प्रारम्भिक रूप से उत्पादक द्वारा दावा किए गए बाजार अर्थव्यवस्था उपचार द्वारा दायर उत्तर को स्वीकार नहीं किया है।

ख. शेनयांग केमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

41. शेनयांग केमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण. ने एक पूर्ण प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर की है। निर्माता ने सीधे निर्यातक लिंकलैंड एंटरप्राइज शंघाई कं, लिमिटेड के माध्यम से निर्यात किया है। उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था के उपचार का दावा नहीं किया है और इसलिए, इसकी लागत और बिक्री मूल्य प्रासंगिक नहीं हैं।

42. चीन के निम्नलिखित निर्माताओं ने जांच में इच्छुक पार्टियों के रूप में पंजीकरण किया था लेकिन कोई प्रतिक्रिया दर्ज नहीं की थी।

क. सीएनएसआईजी जिलंताई क्लोर-अल्कली केमिकल कंपनी लिमिटेड

ख. चाइना साल्ट केमिकल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

ग. सीएनएसआईजी इनर मंगोलिया सोडियम उद्योग कं, लिमिटेड

घ. सीएनएसजी जिलंताई पॉलिमर सामग्री कं, लिमिटेड

ङ. तियानवेई केमिकल कंपनी लिमिटेड

च. ऑर्डोस जुन्ज़ेंग ऊर्जा एवं रसायन उद्योग कं., लिमिटेड

च.3.2ख चीन जन. गण. के लिए निर्यात मूल्य

क. फॉर्मोसा इंडस्ट्रियल केमिकल्स कंपनी के लिए निर्यात मूल्य

43. उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के रूप में *** एमटी के निर्यात की सूचना दी है। निर्माता ने दावा किया है कि उसने भारत को सीधे उत्पाद का निर्यात किया है और कोई अन्य संबंधित/असंबंधित पक्ष विचाराधीन उत्पाद के निर्यात में शामिल नहीं है। उत्पादक ने समुद्री माल हुलाई, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, कमीशन, सीओओ शुल्क, बैंक शुल्क और पैकिंग लागत के कारण समायोजन का दावा किया है। प्राधिकरण ने प्रारंभिक आधार पर प्रतिवादी द्वारा दावा किए गए समायोजन को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार निर्धारित शुद्ध निर्यात मूल्य नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

ख. शेनयांग केमिकल कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात मूल्य

44. उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के रूप में *** मिट निर्यात की सूचना दी है। निर्माता ने दावा किया है कि उसने सीधे भारत के साथ-साथ अन्य असंबंधित निर्यातक के माध्यम से उत्पाद का निर्यात किया है। उत्पादक और निर्यातक ने समुद्री माल हुलाई, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य खर्चों, बैंक शुल्क और पैकिंग लागत के कारण समायोजन का दावा किया है। प्राधिकरण ने प्रारंभिक आधार पर प्रतिवादी द्वारा दावा किए गए समायोजन को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार निर्धारित शुद्ध निर्यात मूल्य नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

ग. गैर-सहकारी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात मूल्य

45. चीन जन गण से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित शुद्ध निर्यात मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

च.3.3. कोरिया आरपी के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य

46. हनवा सॉल्यूशन कॉर्पोरेशन, कोरिया आरपी ने कोरिया से प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर की है।

च.3.3क कोरिया आरपी के लिए सामान्य मूल्य

- क. जवाब देने वाले निर्माता के लिए सामान्य मूल्य - मेसर्स हनवा सॉल्यूशन कॉर्पोरेशन

47. निर्माता ने जांच की अवधि में *** यूएसडी'000 के मूल्य की *** मीट्रिक टन की घरेलू बिक्री की सूचना दी है। निर्माता ने दावा किया है कि सभी घरेलू बिक्री असंबंधित पार्टियों को होती है। उत्पादक ने अंतर्देशीय परिवहन, ऋण लागत और पैकिंग लागत के कारण समायोजन का दावा किया है। प्रतिवादी द्वारा दावा की गई उत्पादन लागत को अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है और प्राधिकरण ने व्यापार का सामान्य पाठ्यक्रम ("ओसीटी") परीक्षण किया है।
48. प्राधिकरण ने सामान्य मूल्य में समायोजन के संबंध में प्रतिवादी द्वारा किए गए दावों को प्रारंभिक रूप से स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार निर्धारित पूर्व-कारखाना सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

- ख. गैर-सहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य।

49. कोरिया आरपी से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य नियमों के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित शुद्ध सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

च.3.3ख कोरिया आरपी के लिए निर्यात मूल्य

- क. प्रत्युत्तर देने वाले उत्पादक के लिए निर्यात मूल्य - मेसर्स हनवा सॉल्यूशन कॉर्पोरेशन

50. उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में *** मीट्रिक टन की सूचना दी है। निर्माता ने दावा किया है कि उसने भारत को सीधे उत्पाद का निर्यात किया है और कोई अन्य संबंधित/असंबंधित पक्ष विचाराधीन उत्पाद के निर्यात में शामिल नहीं है। उत्पादक ने समुद्री माल ढुलाई, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, घरेलू हैंडलिंग शुल्क, घरेलू दलाली, क्रेडिट लागत, बैंक शुल्क और पैकिंग लागत के कारण समायोजन का दावा किया है। प्राधिकरण ने प्रारंभिक आधार पर प्रतिवादी द्वारा दावा किए गए समायोजन को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार निर्धारित शुद्ध निर्यात मूल्य नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

- ख. गैर-सहकारी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात मूल्य।

51. कोरिया आरपी से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य नियमों के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित शुद्ध निर्यात मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

च.3.4 मलेशिया के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य

52. कनेका पेस्ट पॉलिमर एसडीएन बीएचडी, मलेशिया ने मलेशिया से प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर की है।

च.3.4क मलेशिया के लिए सामान्य मूल्य

- क. जवाब देने वाले निर्माता के लिए सामान्य मूल्य - कनेका पेस्ट पॉलिमर एसडीएन बीएचडी

53. निर्माता ने जांच की अवधि में ***अमरीकी डालर के मूल्य की *** मीट्रिक टन की घरेलू बिक्री की सूचना दी है। निर्माता ने दावा किया है कि सभी घरेलू बिक्री असंबंधित पार्टियों को होती है। उत्पादक ने समुद्री माल ढुलाई, बीमा, क्रेडिट लागत और पैकिंग लागत के कारण समायोजन का दावा किया है। प्रतिवादी द्वारा दावा की गई

उत्पादन लागत को अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है और प्राधिकरण ने व्यापार का सामान्य पाठ्यक्रम ("ओसीटी") परीक्षण किया है।

54. प्राधिकरण ने सामान्य मूल्य में समायोजन के संबंध में प्रतिवादी द्वारा किए गए दावों को प्रारंभिक रूप से स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार निर्धारित पूर्व-कारखाना सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

ख. गैर-सहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य।

55. मलेशिया के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

च.3.4ख मलेशिया के लिए निर्यात मूल्य

क. जवाब देने वाले निर्माता के लिए निर्यात मूल्य - कनेका पेस्ट पॉलिमर एसडीएन बीएचडी

56. उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में *** मिट सूचित किया है। निर्माता ने दावा किया है कि उसने भारत को सीधे उत्पाद का निर्यात किया है और कोई अन्य संबंधित/असंबंधित पक्ष विचाराधीन उत्पाद के निर्यात में शामिल नहीं है। उत्पादक ने समुद्री माल ढुलाई, बीमा, बंदरगाह और अन्य व्ययों, अंतर्देशीय परिवहन, क्रेडिट लागत और पैकिंग लागत के कारण समायोजन का दावा किया है। प्राधिकरण ने प्रारंभिक आधार पर प्रतिवादी द्वारा दावा किए गए समायोजन को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार निर्धारित शुद्ध निर्यात मूल्य नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

ख. गैर-सहकारी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात मूल्य

57. मलेशिया से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित शुद्ध निर्यात मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

च.3.5 ताइवान के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य

58. फॉर्मोसा प्लास्टिक कॉर्पोरेशन, ताइवान ने ताइवान से एक प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर की है।

च.3.5क ताइवान के लिए सामान्य मूल्य

क. जवाब देने वाले निर्माता के लिए सामान्य मूल्य - फॉर्मोसा प्लास्टिक कॉर्पोरेशन

59. निर्माता ने जांच की अवधि में *** मीट्रिक टन की घरेलू बिक्री की सूचना दी है, जिसका मूल्य ***यूएसडी'000 है। निर्माता ने दावा किया है कि सभी घरेलू बिक्री असंबंधित पार्टी के लिए हैं। उत्पादक ने अंतर्देशीय परिवहन, ऋण लागत, पैकिंग लागत, झूट और बिलिंग समायोजन के कारण समायोजन का दावा किया है। उत्तरदाताओं द्वारा दावा की गई बिक्री की लागत को अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है और प्राधिकरण ने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम ("ओसीटी") परीक्षण किया है। प्राधिकरण ने प्रतिवादी द्वारा किए गए दावों को प्रारंभिक रूप से स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार निर्धारित पूर्व-कारखाना सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

ख. गैर-सहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य।

60. ताइवान से गैर-सहकारी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य नियमों के नियम 6 (8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

च.3.5ख ताइवान के लिए निर्यात मूल्य

क. जवाब देने वाले निर्माता फॉर्मोसा प्लास्टिक कॉर्पोरेशन के लिए निर्यात मूल्य

61. निर्माता ने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के रूप में *** मीट्रिक टन निर्यात की सूचना दी है। निर्माता ने दावा किया है कि उसने असंबंधित निर्यातक के माध्यम से उत्पाद का निर्यात किया है। उत्पादक और निर्यातक ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, प्रलेखन शुल्क, बंदरगाह सेवा शुल्क, व्यापार संवर्धन शुल्क, एलसी बातचीत ब्याज, कमीशन, बैंक प्रभार और पैकिंग लागत के कारण समायोजन का दावा किया है। प्राधिकरण ने प्रारंभिक आधार पर प्रतिवादियों द्वारा दावा किए गए समायोजनों को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार निर्धारित शुद्ध निर्यात मूल्य नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

ख. गैर-सहकारी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात मूल्य।

62. थाईवान से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित शुद्ध निर्यात मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

च.3.6 थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य

63. टीपीसी पेस्ट राल कं, लिमिटेड ने थाईलैंड से प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर की है।

च.3.6क थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य

क. जवाब देने वाले निर्माता के लिए सामान्य मूल्य - टीपीसी पेस्ट रेज़िन कंपनी लिमिटेड

64. निर्माता ने जांच की अवधि में *** अमरीकी डालर 000 के मूल्य के *** मीट्रिक टन की घरेलू बिक्री की सूचना दी है। निर्माता ने दावा किया है कि सभी घरेलू बिक्री संबंधित पार्टी को होती है। उत्पादक ने छूट, अंतर्देशीय माल ढुलाई, ऋण लागत, ब्रांड लोगो लागत, तकनीकी सहायता प्रभार और अन्य खर्चों के कारण समायोजन का दावा किया है। उत्तरदाताओं द्वारा दावा की गई बिक्री की लागत को अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है और प्राधिकरण ने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम ("ओसीटी") परीक्षण किया है। प्राधिकरण ने प्रतिवादी द्वारा किए गए दावों को प्रारंभिक रूप से स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार निर्धारित पूर्व-कारखाना सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

ख. गैर-सहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य

65. थाईलैंड के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित शुद्ध सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

च.3.6ख थाईलैंड के लिए निर्यात मूल्य

क. जवाब देने वाले निर्माता के लिए निर्यात मूल्य - टीपीसी पेस्ट रेज़िन कंपनी लिमिटेड

66. उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में *** एमटी की सूचना दी है। उत्पादक ने संबंधित व्यापार के माध्यम से निर्यात किया है। उत्पादक और व्यापारी ने छूट, अंतर्देशीय परिवहन, क्रेडिट लागत, ब्रांड लोगो लागत और तकनीकी सहायता शुल्क के कारण समायोजन का दावा किया है। प्राधिकरण ने प्रारंभिक आधार पर प्रतिवादियों द्वारा दावा किए गए समायोजनों को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार निर्धारित शुद्ध निर्यात मूल्य नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

ख. गैर-सहकारी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात मूल्य।

67. थाईलैंड के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित शुद्ध निर्यात मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

च.3.7 नॉर्वे के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य

68. नार्वे से मैसर्स इनोविन नोर्ज एएस और मैसर्स इनोविन यूरोप लिमिटेड ने इच्छुक पक्ष के रूप में पंजीकरण कराया था। हालांकि, निर्माता और निर्यातक ने कोई प्रश्नावली जवाब दाखिल नहीं किया। उत्पादक ने केवल पाटन रोधी शुल्क को आकर्षित करने वाले विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बायोविन ग्रेड को बाहर करने का अनुरोध किया था। निर्माता द्वारा किए गए अनुरोध को अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि, निर्माता ने व्यक्तिगत पाटन और क्षति मार्जिन का दावा करते हुए कोई प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर नहीं की है। इसलिए, उत्पादक को उस हद तक असहयोगी माना गया है।

च.3.7.क नॉर्वे के लिए सामान्य मूल्य

69. नॉर्वे के लिए सामान्य मूल्य नियमों के नियम 6 (8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

च.3.7.ख नॉर्वे के लिए निर्यात मूल्य

70. नार्वे के लिए निर्यात मूल्य का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित शुद्ध निर्यात मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

च.3.8 पाटन मार्जिन

71. ऊपर निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य के आधार पर, भाग लेने वाले और गैर-भाग लेने वाले उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है और नीचे दिखाया गया है।

क्र.स.	विशिष्ट	पीसीएन	सामान्य मूल्य	शुद्ध निर्यात मूल्य	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
			यूएसडी/ऍमटी	यूएसडी/ऍमटी	यूएसडी/ऍमटी	%	श्रेणी
1	चीन जन. गण.						
क	फॉर्मोसा इंडस्ट्रीज (निंगबो) कंपनी लिमिटेड	कुल	***	***	***	***	60- 70%
		मध्यम	***	***	***	***	60- 70%
		उच्च	***	***	***	***	60- 70%
ख	शेनयांग केमिकल कंपनी लिमिटेड	कुल	***	***	***	***	20-30%
		मध्यम	***	***	***	***	40-50%
		उच्च	***	***	***	***	10-20%
ग	कोई अन्य	औसत	***	***	***	***	80-90%
2	कोरिया आरपी						
क	मेसर्स हनवा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन	कुल	***	***	***	***	Negative
		मध्यम	***	***	***	***	Negative
		उच्च	***	***	***	***	Negative
ख	कोई अन्य	औसत	***	***	***	***	0-10%
3	मलेशिया						

क	कनेका पेस्ट पॉलिमर एसडीएन बीएचडी	कुल	***	***	***	***	20-30%
		मध्यम	***	***	***	***	20-30%
		उच्च	***	***	***	***	30-40%
ख	कोई अन्य	औसत	***	***	***	***	30-40%
4	ताइवान						
क	फॉर्मोसा प्लास्टिक कॉर्पोरेशन	कुल	***	***	***	***	10-20%
		मध्यम	***	***	***	***	0-10%
		उच्च	***	***	***	***	10-20%
ख	कोई अन्य	औसत	***	***	***	***	10-20%
5	थाईलैंड						
क	टीपीसी पेस्ट रेज़िन कंपनी लिमिटेड	कुल	***	***	***	***	10-20%
		मध्यम	***	***	***	***	30-40%
		उच्च	***	***	***	***	0-10%
ख	कोई अन्य	औसत	***	***	***	***	20-30%
6	नॉर्वे	कुल	***	***	***	***	30-40%
		मध्यम	***	***	***	***	30-40%
		उच्च	***	***	***	***	60-70%

छ. क्षति और कारण लिंक

छ.1 विरोधी इच्छुक पक्षों की ओर से की गई प्रस्तुतियाँ

72. विरोधी इच्छुक पार्टियों ने क्षति और कारण लिंक के मुद्दे पर निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:

- क. भारत में भारी मांग-आपूर्ति के अंतर के कारण आयात हो रहा है।
- ख. निर्यातक जांच की अवधि में अपनी कीमतों को 2019-20 में 75,047 रुपये प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100,872 रुपये प्रति मीट्रिक टन करने में सक्षम रहे हैं। घरेलू उद्योग आयात की कीमतों में वृद्धि होने पर क्षति का यथोचित दावा नहीं कर सकता।
- ग. व्यापार उपचारात्मक उपाय प्रकृति में अस्थायी होने के लिए होते हैं। उत्पाद के आयात पर लंबे समय से पाटन रोधी शुल्क लागू हैं। शुल्क केवल जुलाई 2021 में समाप्त हो गए, और तीन साल से कम समय के आयात के बाद नई कार्यवाही शुरू की गई है। शुल्क के पुनः अधिरोपण के परिणामस्वरूप पीवीसी पेस्ट राल पर शुल्क लगभग स्थायी हो जाएगा।
- घ. 11 अगस्त 2023 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के अनुसार, पीवीसी पेस्ट के आयात के लिए बीआईएस लाइसेंस अनिवार्य कर दिए गए हैं जो चीन जन. गण. सहित सभी देशों से आयात को प्रभावित करेगा।

- ड. आवेदक ने दावा किया है कि क्षति की अवधि में उनकी बिक्री की लागत बढ़ गई है लेकिन कच्चे माल की कीमत में गिरावट आई है। यदि उनके प्राथमिक कच्चे माल की लागत में गिरावट आई है, तो उत्पादन की समग्र लागत में भी गिरावट आनी चाहिए।
- च. निर्यात मूल्य में गिरावट चीन के उत्पादकों के कच्चे माल की लागत में गिरावट के कारण है न कि कथित पाटन के कारण। शेनयांग और लिंकलैंड का घरेलू बिक्री मूल्य भारत को उनके निर्यात मूल्य से कम है।
- छ. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग में नुकसान की अवधि के दौरान कोई गिरावट नहीं दिखाई देती है।
- ज. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री किसी भी नुकसान को प्रतिबिंबित नहीं करती है।
- झ. घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री 2020-21 में 1,383 से घटकर 2021-22 में 423 और 2022-23 में 113 हो गई है।
- ञ. घरेलू उद्योग की औसत सूची में गिरावट दिखाई देती है जिसका अर्थ है कि यह जो कुछ भी उत्पादित किया है उसे बेचने में सक्षम रहा है।
- ट. कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है जबकि वेतन और वेतन में गिरावट आई है।
- ठ. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की उत्पादकता आधार वर्ष की तुलना में बढ़ी है जिसमें कोई नुकसान नहीं दर्शाया गया है।
- ड. घरेलू उद्योग 2023-24 में क्षमता वृद्धि की योजना बनाने का दावा करता है, लेकिन विस्तार पर काम भी शुरू नहीं हुआ है।

छ.2 घरेलू उद्योग की ओर से दी गई प्रस्तुतियाँ

73. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारण लिंक के मुद्दे पर निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:

- क. इससे पहले चीन विचाराधीन उत्पाद का शुद्ध आयातक था। हालाँकि, कोविड के दौरान पीवीसी-आधारित दस्तानों की बढ़ती मांग के कारण, चीनी उत्पादकों ने अपनी क्षमता में काफी विस्तार किया।
- ख. जैसे-जैसे महामारी कम हुई, पीवीसी-आधारित दस्ताने की मांग में भी गिरावट आई। इसके अलावा, चीन में कपड़ा परिधान की मांग में सामान्य गिरावट (शून्य-कोविड नीति के कारण) और यूरोप में (मांग पर मुद्रास्फीति के प्रभाव के कारण) है। मांग में गिरावट से निर्यातकों के परिचालन पर असर पड़ा है।
- ग. आयात की उतराई तक की कीमत परिवर्ती लागत के अनुरूप नहीं हुई है। 2021-22 तक, लैंडेड कीमत बिक्री की लागत से अधिक थी और कोई पाटन नहीं थी। हालाँकि, तब से, निर्यातकों ने आक्रामक मूल्य निर्धारण का सहारा लिया है।
- घ. 2019-20 और 2020-21 में आयात घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम था। हालाँकि, उस समय लागू पाटन रोधी शुल्क के माध्यम से उपाय थे।
- ङ. उत्पादन प्रक्रिया की प्रकृति और संयंत्र बंद होने से जुड़ी लागतों के कारण, क्षमताओं को निष्क्रिय रखना व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य विकल्प नहीं है। इसलिए, कोई भी निर्माता उत्पादन को निलंबित करने पर कीमतों को कम करना पसंद करेगा। नतीजतन, क्षति का वास्तविक रूप मूल्य की क्षति है, मात्रा की क्षति नहीं।
- च. आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को एक महत्वपूर्ण अंतर से कम कर रहा है।
- छ. घरेलू उद्योग अपने उत्पादों के लिए एक मूल्य सूची रखता है जिसे आयात की कीमतों के आधार पर आवधिक रूप से संशोधित किया जाता है। जांच की अवधि में, पिछले वर्षों की तुलना में मूल्य संशोधन की संख्या में 40% की वृद्धि हुई थी।
- ज. उतराई तक के मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम हैं, जिससे हानि होती है।
- झ. पाटित आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

- ज. अर्जित योगदान नकारात्मक है। घरेलू उद्योग न केवल निश्चित लागत पर, बल्कि उत्पादित हर अतिरिक्त इकाई पर नुकसान झेल रहा है।
- ट. घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा, नकद हानि और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल का सामना करना पड़ा है।
- ठ. घरेलू उद्योग की उत्पादकता और क्षमता उपयोग में गिरावट नहीं आई है। जबकि रोजगार और मजदूरी उत्पाद के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं हैं, रोजगार का भविष्य उत्पाद के प्रदर्शन पर निर्भर है।
- ड. पाटित आयातों ने पूंजी जुटाने और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ अजत करने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
- ढ. भारत में उत्पाद की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, घरेलू उद्योग ने 43,000 मीट्रिक टन का क्षमता विस्तार किया है। ये निर्णय तब लिए गए जब बाजार की स्थिति बिना पाटन के निष्पक्ष और लाभकारी थी। तथापि, उत्पाद के पाटन ने घरेलू उद्योग की विस्तार योजनाओं को बाधित किया है। 37,000 मीट्रिक टन के नियोजित विस्तार को स्थगित कर दिया गया है।

छ.3 प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

74. अनुबंध II के साथ पठित नियमों के नियम 11 में प्रावधान है कि क्षति निर्धारण में उन कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संकेत दे सकते हैं। *पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में वस्तुओं की कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ...!*
75. कीमतों पर पाटित किए गए आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, यह जांचना आवश्यक माना जाता है कि क्या डंप किए गए आयातों से घरेलू समान वस्तु की कीमत में महत्वपूर्ण कटौती हुई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को काफी हद तक कम करने वाला है या कीमतों में बढ़ोतरी को रोकें, जो अन्यथा काफी हद तक घटित हो सकती थी।
76. इसके अलावा, यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सकारात्मक निर्धारण के लिए क्षति के सभी मापदंडों में गिरावट दिखाई दे। कुछ मापदंडों में क्षति लग सकती है जबकि कुछ में नहीं। प्राधिकरण क्षति के सभी मानदंडों पर विचार करता है और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि क्या घरेलू क्षति पाटित आयात से प्रभावित हुई है अथवा होने की संभावना है।
77. इस स्तर पर किए गए घरेलू उद्योग और अन्य इच्छुक पक्षों के संगत प्रस्तुतीकरण की जांच नीचे की जाती है।

आयात का संचयी मूल्यांकन

78. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.3 और एडी के अनुबंध-II के पैरा (iii) में प्रावधान है कि ऐसे मामले में जहां एक से अधिक देशों से किसी उत्पाद के आयात की एक साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है, प्राधिकरण संचयी रूप से ऐसे आयातों के प्रभाव का आकलन करेगा, यदि यह निर्धारित करता है कि:
- क. प्रत्येक देश से आयात के संबंध में स्थापित पाटन का मार्जिन निर्यात मूल्य के प्रतिशत के रूप में दो प्रतिशत से अधिक व्यक्त किया जाता है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात का तीन प्रतिशत (या अधिक) है या जहां अलग-अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयात के सात प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेदार है; और
- ख. आयातित वस्तु और इसी प्रकार की घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है।
79. जांच अवधि में देश-वार आयात विवरण दर्शाने वाला आयात विवरण नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	देशों	मात्रा मीट्रिक टन				शेयर (%)
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2022-23
1	चीन जन. गण.	12,182	1,127	15,560	19,359	24%

2	ताइवान	11,402	1,325	11,048	13,060	16%
3	थाईलैंड	8,162	6,168	9,752	10,462	13%
4	कोरिया आरपी	6,380	1,104	5,111	10,143	12%
5	मलेशिया	4,904	1,546	6,938	10,135	12%
6	जापान	7,767	5,019	6,265	5,043	6%
7	नॉर्वे	281	3,062	1,465	4,416	5%
8	यूरोपीय संघ	6,887	7,835	4,717	6,234	8%
9	यू एस ए	11,037	7,573	3,583	1,958	2%
10	कोलंबिया	3,152	5,212	314	324	0%
11	हांग कांग	160	-	26	112	0%
12	वियतनाम समाज प्रतिनिधि	-	-	-	54	0%
13	यू के	151	88	82	40	0%
14	यू अरब एम्ट्स	44	81	54	-	0%
15	सिंगापुर	-	54	-	-	0%
16	मेक्सिको	672	1,320	-	-	0%
17	रूस	-	842	-	-	0%
18	कुल	73,181	42,359	64,915	81,340	0%

80. प्राधिकरण नोट करता है कि:

- क. चीन, कोरिया, मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान और थाईलैंड से आयात डंप कीमतों पर हैं।
 ख. प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन नियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।
 ग. इन देशों से आयात नियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से ऊपर है।

81. यह सुनिश्चित करने के लिए कि आयातित वस्तु और इसी प्रकार की घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है या नहीं, निम्नलिखित पैरामीटरों की जांच की गई है:

- क. विभिन्न पार्टियों द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद लेख की तरह हैं और गुणों में तुलनीय हैं।
 ख. घरेलू स्तर पर उत्पादित उत्पाद और आयातित उत्पाद विनिमेय हैं।
 ग. घरेलू उत्पाद और आयातित उत्पाद के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा है और आयातित उत्पादों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा है।
 घ. उपभोक्ता घरेलू सामग्री और आयातित सामग्री का परस्पर उपयोग कर रहे हैं और निर्यातक और घरेलू उद्योग ने ग्राहकों के एक ही समूह को एक ही उत्पाद बेचा है।
 ङ. संबंधित देशों से आयात मूल्य में साथ-साथ वृद्धि हुई है।

82. संबंधित देशों से आयात मूल्य (सीआईएफ आधार) नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	देशों	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	चीन जन. गण.	रु/एमटी	69,490	91,909	1,39,949	96,687
2	ताइवान	रु/एमटी	75,503	97,081	1,21,759	98,249

3	थाईलैंड	रु/एमटी	78,750	97,277	1,43,935	1,01,433
4	कोरिया आरपी	रु/एमटी	78,542	82,299	1,48,664	1,02,615
5	मलेशिया	रु/एमटी	77,243	80,137	1,31,790	1,06,569
6	नाँवें	रु/एमटी	75,247	71,720	1,33,251	92,502

83. यह देखा गया है कि संबंधित देशों से आयात मूल्य एक-दूसरे के अनुरूप हो गए हैं। जांच की अवधि में आयात मूल्य आधार वर्ष की तुलना में बढ़ा है। इसके अलावा, तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान आयात मूल्य में गिरावट आई है।

84. नीचे दी गई तालिका क्षति की अवधि में विषय देशों से आयात की मात्रा दिखाती है।

क्र.सं.	देशों	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	चीन जन. गण.	एमटी	12,182	1,127	15,560	19,359
2	ताइवान	एमटी	11,402	1,325	11,048	13,060
3	थाईलैंड	एमटी	8,162	6,168	9,752	10,462
4	कोरिया आरपी	एमटी	6,380	1,104	5,111	10,143
5	मलेशिया	एमटी	4,904	1,546	6,938	10,135
6	नाँवें	एमटी	281	3,062	1,465	4,416

85. यह देखा गया है कि अलग-अलग विषय देशों से आयात की मात्रा एक-दूसरे के साथ मिलकर बढ़ी है। जब 2020-21 में मांग में गिरावट आई, तो सभी संबंधित देशों (नाँवें को छोड़कर) से आयात में गिरावट आई। जांच की अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में संबंधित देशों से आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है जो विभिन्न स्रोतों से आयातों के बीच प्रतिस्पर्धा की मात्रा को दर्शाता है।

86. प्राधिकरण ने लेन-देन-वार आयात आंकड़ों की जांच की है और यह पाया है कि उपभोक्ताओं ने संबंधित देशों से एक दूसरे के स्थान पर आयात किया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग और निर्यातकों ने ग्राहकों के एक ही सेट को एक ही उत्पाद बेचा है। संबंधित देशों के घरेलू उत्पादक और निर्यातक समान उत्पाद को समान श्रेणी के ग्राहकों को बेचते हैं और दोनों एक ही बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। दोनों उत्पादों का उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा एक दूसरे के स्थान पर किया जा रहा है।

87. नियम 14 में यह आवश्यक है कि यदि डंपिंग का मार्जिन निर्यात मूल्य के दो प्रतिशत से कम है तो आयात के खिलाफ जांच समाप्त कर दी जाए। यह ध्यान दिया जाता है कि प्राधिकरण ने इस स्तर पर किसी भी विस्तृत सत्यापन के बिना निर्यातक के डेटा को अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिया है और तदनुसार डंपिंग मार्जिन निर्धारित किया है। निर्यातक के आंकड़ों के विस्तृत सत्यापन के बिना इस तरह के निर्धारण से उक्त निर्यातक के लिए डंपिंग माजन को न्यूनतम करने का पता चला है। प्राधिकरण अंतिम जांच परिणाम जारी करते समय विस्तृत सत्यापन करेगा। उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकरण इस स्तर पर उक्त निर्यातक के विरुद्ध जांच समाप्त नहीं कर रहा है।

88. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण घरेलू उद्योग पर विषयाधीन देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के प्रभावों का संचयी रूप से मूल्यांकन करना उपयुक्त समझता है।

89. अधिसूचना संख् या 27/2016 दिनांक 23 जून 2016 के तहत चीन जनगण, जापान, कोरिया गणराज् य, मलेशिया, रूस, ताइवान और थाईलैंड से विचाराधीन उत् पादों के आयात पर पाटन रोधी शुल् क लागू थे। कर्तव्यों की अवधि 22 जून 2021 को समाप्त हो गई। इसलिए, वर्ष 2019-20 और 2020-21 में कीमतें लागू पाटन रोधी कर्तव्यों से प्रभावित हुईं। इसलिए, प्राधिकरण ने जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री और बिक्री मूल्य की तुलना आयात मूल्यों के साथ करना उचित पाया है।

छ.3.1 मांग का आकलन

90. प्राधिकरण ने भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग, समर्थक और सभी स्रोतों से आयात की घरेलू बिक्री के योग के रूप में निर्धारित किया है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	97	101	107
2	समर्थक की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	92	68	62
3	विषय देशों से आयात	एमटी	43,310	14,333	49,874	67,575
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	33	115	156
4	अन्य देशों से आयात	एमटी	8,162	6,168	9,752	10,462
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	76	119	128
5	मांग/खपत	एमटी	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	74	103	120

91. यह देखा गया है कि कोविड-19 के प्रकोप के कारण 2020-21 में कुल मांग में कमी आई है। 2020-21 के बाद मांग में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है।

छ.3.2 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

92. संबंधित देशों से पाटित आयातों की मात्रा के प्रभाव की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि क्या आयातों में या तो निरपेक्ष रूप से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के संबंध में वृद्धि हुई है।
93. उत्पादन और खपत के संबंध में निरपेक्ष रूप से विभिन्न देशों से आयात की मात्रा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	विषय देश	एमटी	***	***	***	***
2	विषय आयात के संबंध में:					
क.	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	36	116	149
ख.	मांग	%	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	45	111	130
ग.	कुल आयात	%	84%	70%	84%	87%

94. यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात में 2020-21 में गिरावट आई क्योंकि मांग में गिरावट आई। हालांकि, 2021-22 में मांग में वृद्धि के साथ, आयात फिर से बढ़ गया है। जांच की अवधि में आयातों में और वृद्धि हुई है। संबंधित देशों से आयातों में पूर्ण रूप से और उत्पादन, खपत और कुल आयातों के संबंध में वृद्धि हुई है। यह भी देखा गया है कि देश में मांग और आपूर्ति के अंतर में वृद्धि के साथ आयातों में वृद्धि हुई है।

छ.3.3 पाटित किए गए आयात का मूल्य प्रभाव

95. कीमतों पर पाटित किए गए आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकरण से यह विचार करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कथित रूप से डंप किए गए आयातों द्वारा मूल्य में काफी कमी की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को काफी हद तक कम करने या मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है। जो अन्यथा एक महत्वपूर्ण डिग्री तक हुआ होगा। इस संबंध में, व्यापार के समान स्तर पर संबंधित देशों

से उत्पाद के अवतरण मूल्य और घरेलू उद्योग के औसत बिक्री मूल्य, सभी छूटों और करों के शुद्ध के बीच तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतें कारखाना पूर्व स्तर पर निर्धारित की गई थीं।

I. कीमत कम करना

96. प्राधिकरण ने आयात की उतराई तक की कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की निवल बिक्री से की है।

क्र.सं.	विवरण	निवल बिक्री प्राप्ति रु/एमटी	लैंडेड प्राइस रु/एमटी	कीमत में कटौती रु/एमटी	कीमत में कटौती रु/एमटी	कीमत में कटौती रु/एमटी
1	चीन जन. गण.	***	1,05,768	***	***	0-10%
2	ताइवान	***	1,07,300	***	***	0-10%
3	थाईलैंड	***	1,08,927	***	***	0-10%
4	मलेशिया	***	1,16,613	***	***	नकारात्मक
5	कोरिया आरपी	***	1,11,059	***	***	नकारात्मक
6	नाँवे	***	1,05,376	***	***	0-10%
7	औसत	***	1,08,035	***	***	0-10%

97. यह देखा गया है कि मलेशिया और कोरिया आरपी को छोड़कर, आयात की उतराई तक की कीमत घरेलू उद्योग की कीमतों से कम है। आयात घरेलू उद्योग के आयातों को कम कर रहे हैं।


II. मूल्य दमन/मंदी

98. नीचे दी गई तालिका बिक्री की लागत, बिक्री मूल्य और आयात की उतराई तक की कीमत में परिवर्तन दिखाती है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	बिक्री की लागत	रु/ एमटी	***	***	***	***
2	विक्रय मूल्य	रु/ एमटी	***	***	***	***
3	लैंडेड मूल्य	रु/ एमटी	81,932	95,907	1,49,961	1,08,035
	परिवर्तन					
4	बिक्री की लागत	रु/ एमटी	-	***	***	***
5	विक्रय मूल्य	रु/ एमटी	-	***	***	***
6	लैंडेड मूल्य	रु/ एमटी	-	13,975	54,054	-41,926
	सामान्य प्रवृत्ति					
7	बिक्री की लागत	अनुक्रमित	100	106	140	148
8	विक्रय मूल्य	अनुक्रमित	100	121	160	113
9	लैंडेड मूल्य	अनुक्रमित	100	117	183	132

99. यह देखा गया है कि वर्ष 2019-20 में, आयात की उतराई तक की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री और बिक्री मूल्य की लागत से कम थी। हालांकि, यह वह दौर था जब एंटी डंपिंग शुल्क लागू थी। 2020-21 में बिक्री की लागत में लगभग ***रुपये प्रति मीट्रिक टन (6 इंडेक्स पॉइंट) की वृद्धि हुई है। बिक्री मूल्य में *** रुपये (21 सूचकांक अंक) की वृद्धि हुई। ऐसा आयात की उतराई तक मूल्य में वृद्धि के कारण हुआ। वर्ष 2021-22 में विक्रय लागत और विक्रय मूल्य में वृद्धि हुई।

100. जांच की अवधि में जहां बिक्री का खर्च *** रुपये प्रति एमटी बढ़ा है, वहीं विक्रय मूल्य में गिरावट आई है। बिक्री मूल्य में गिरावट आयातों के लैंडिड मूल्य में गिरावट के कारण थी। अवतरित मूल्य में गिरावट लागत में गिरावट की तुलना में अधिक थी। आयात घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत को कम कर रहा था।



101. घरेलू उद्योग द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उसे लगातार घटती उतराई गई कीमतों के साथ तालमेल रखने के लिए जांच की अवधि के दौरान मूल्य संशोधन करना पड़ा।
102. अतः प्राधिकरण अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालता है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग का विक्रय मूल्य घटा है।

छ.3.4 घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड

1. क्षमता, क्षमता उपयोग, उत्पादन और घरेलू बिक्री

103. निम्न तालिका क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, निर्यात बिक्री को दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	क्षमता	एमटी	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	100	100	100
2	उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	91	99	105
3	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	91	99	105
4	घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	97	101	107
5	निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	***

सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	1,383	423	113
-------------------	-----------	-----	-------	-----	-----

104. यह देखा गया है कि:

- क. घरेलू उद्योग के साथ क्षमता क्षति की अवधि के दौरान स्थिर रही है। तथापि, यह बताया गया है कि घरेलू उद्योग ने जांच की पश्चात् अवधि में क्षमता का विस्तार किया है। घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता में 43,000 मीट्रिक टन की वृद्धि की है।
- ख. मांग में गिरावट के कारण 2020-21 में घरेलू उद्योग के उत्पादन और घरेलू बिक्री में गिरावट आई है। इसके बाद उत्पादन और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है।
- ग. घरेलू उद्योग के निर्यात में गिरावट आई है और क्षति की अवधि में मात्रा में नगण्य है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के लिए प्राथमिक बाजार घरेलू बाजार है।
- घ. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि इसमें शामिल उत्पादन प्रक्रिया की प्रकृति के कारण, उत्पादन का निलंबन अपने आप में उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण लागत है और कोई भी पीवीसी पेस्ट उत्पादक अपने उत्पादन को निलंबित करने के बजाय कम कीमतों पर उत्पादन और बिक्री जारी रखना पसंद करेगा।
- ङ. प्राधिकरण नोट करता है कि पीवीसी राल संयंत्र में जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं को शुरू करना और रोकना महंगा और समय लेने वाला हो सकता है। इसमें ऊर्जा लागत, संभावित सामग्री अपशिष्ट और श्रम आवश्यकताएं शामिल हैं। बार-बार शटडाउन और स्टार्टअप मशीनरी पर टूट-फूट बढ़ा सकते हैं, संभावित रूप से उच्च रखरखाव लागत और कम उपकरण जीवनकाल का कारण बन सकते हैं। निरंतर संचालन स्थिर तापमान और दबाव बनाए रखने में मदद करता है, जो उच्च गुणवत्ता वाले पीवीसी पेस्ट राल के लगातार उत्पादन के लिए आदर्श है। निरंतर संचालन समग्र उत्पादन उत्पादन को भी अधिकतम करता है, जो इकाई लागत को कम करने में मदद कर सकता है।
- च. घरेलू उद्योग ने बिक्री में नुकसान का दावा नहीं किया है।

II. सूची

105. निम्न तालिका क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उद्घाटन, समापन और औसत सूची को दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	इन्वेंट्री खोलना	एमटी	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	***	***	***	***
2	इन्वेंट्री बंद करना	एमटी	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	***	***	***	***
3	औसत इन्वेंट्री	एमटी	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	76	17	35

106. यह देखा गया है कि कोविड शटडाउन के कारण जांच की अवधि में समापन सूची अधिक थी। क्लोजिंग इन्वेंट्री को 2020-21 में अस्वीकार कर दिया गया था और उसके बाद इसमें वृद्धि हुई है।

III. बाज़ार हिस्सेदारी

107. निम्न तालिका क्षति की अवधि में भारतीय बाजार में बाजार हिस्सेदारी वितरण दिखाती है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	घरेलू उद्योग का हिस्सा	%	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	132	98	89
2	अन्य उत्पादकों का हिस्सा	%	***	***	***	***

	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	125	65	51
3	विषय देशों का हिस्सा	%	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	45	111	130
4	अन्य देशों का हिस्सा	%	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	103	115	107

108. यह देखा गया है कि 2020-21 में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी लेकिन जांच की अवधि में गिरावट आई है। वर्ष 2020-21 में आयात में गिरावट आने पर संबंधित देशों की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई लेकिन उसके बाद इसमें वृद्धि हुई है। संबंधित देशों के बाजार हिस्से में वृद्धि भी मांग और आपूर्ति के अंतर के कारण हुई है।

IV. लाभ/हानि, नकद लाभ और निवेश की गई पूंजी पर वापसी

109. लाभप्रदता के बारे में जानकारी नीचे दी गई है: -

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	लाभ/(हानि)	₹/ एमटी	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	227	293	-125
2	लाभ/(हानि)	₹ लाख	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	220	296	-134
3	नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	192	254	-102
4	ब्याज और कर से पहले लाभ (पीबीआईटी)	₹ लाख	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	253	253	-84
5	नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आरओसीई)	%	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	258	217	-77

110. यह देखा गया है कि:

- क. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में 2021-22 तक सुधार हुआ लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट आई है। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को वित्तीय नुकसान हुआ है।
- ख. घरेलू उद्योग को भी नकद हानि और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल का सामना करना पड़ा है।

111. घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि डंप किए गए आयात का ऐसा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है कि घरेलू उद्योग को इसकी परिवर्तनीय लागत से कम मूल्य पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। नीचे दी गई तालिका घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित योगदान को दर्शाती है। अंशदान की गणना विक्री मूल्य, कम कच्चे माल की लागत, उपयोगिता लागत, पैकिंग लागत और अन्य परिवर्तनीय खर्चों के रूप में की गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	शुद्ध विक्री प्राप्ति	₹/एमटी	***	***	***	***
2	परिवर्तनीय लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
3	योगदान	₹/एमटी	***	***	***	***

4	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	167	168	-12
---	-------------------	-----------	-----	-----	-----	-----

112. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग का योगदान 2021-22 तक बढ़ा लेकिन जांच की अवधि में गिरावट आई है। जांच की अवधि में अर्जित योगदान नकारात्मक है। नकारात्मक योगदान से पता चलता है कि डंप किए गए आयात का प्रतिकूल प्रभाव इतना महत्वपूर्ण है कि घरेलू उद्योग प्रत्येक इकाई के उत्पादन के लिए खर्च की गई लागत प्राप्त करने में असमर्थ रहा है।

V. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

113. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के बारे में जानकारी नीचे दी गई है: -

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	96	102	105
2	वेतन और मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	87	84	94
3	प्रति दिन उत्पादकता	मीट्रिक टन/दिन	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	91	99	105
4	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मीट्रिक टन/संख्या	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	95	97	100

114. यह देखा गया है कि क्षति की अवधि में कर्मचारियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। 2020-21 और 2021-22 में भुगतान की गई मजदूरी में गिरावट आई लेकिन उसके बाद इसमें वृद्धि हुई। उत्पादकता उत्पादन के अनुरूप हो गई है। घरेलू उद्योग ने कहा है कि तीसरा संयंत्र तभी स्थापित किया जाएगा जब उत्पाद का निष्पादन उचित प्रतिफल को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त हो।

VI. वृद्धि

115. वृद्धि के संबंध में जानकारी नीचे दी गई है: -

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	पीओआई
1	उत्पादन	%	-9%	9%	6%
2	बिक्री	%	-3%	4%	6%
3	लाभ/(हानि) प्रति इकाई	%	127%	29%	-143%
4	विस्तृत सूची	%	-24%	-77%	101%
5	बाज़ार हिस्सेदारी	%	32%	-26%	-9%
6	टैक्स से पहले लाभ	%	120%	34%	-145%
7	नकद लाभ	%	92%	32%	-140%
8	ब्याज और कर से पहले लाभ	%	153%	0%	-133%
9	निवेश पर प्रतिफल (आरओआई)	%	158%	-16%	-135%

116. यह देखा गया है कि उस वॉल्यूम पैरामीटर ने 2020-21 में नकारात्मक वृद्धि दिखाई जब मांग में गिरावट आई। मूल्य मापदंडों ने 2020-21 में सकारात्मक वृद्धि दिखाई। वर्ष 2021-22 में निवेश और इन्वेंट्री पर रिटर्न को छोड़कर लगभग सभी मापदंडों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। जांच की अवधि में सभी मूल्य पैरामीटरों में

नकारात्मक वृद्धि देखी गई है। हालांकि मात्रा के मापदंडों में नकारात्मक वृद्धि नहीं दिखाई दी है, लेकिन यह प्रस्तुत किया गया है कि उत्पाद की प्रकृति को देखते हुए, उत्पादन को निलंबित करना संभव नहीं है।

VII. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

117. घरेलू उद्योग घाटे में है और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिलाभ पर परिचालन कर रहा है। इसलिए, प्राधिकरण अनंतिम रूप से मानता है कि भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद की पाटन ने घरेलू उद्योग के पूंजी निवेश को बढ़ाने की क्षमता को प्रभावित किया है।

VIII. पाटन का मार्जिन

118. पाटन का मार्जिन इस बात का संकेतक हो सकता है कि पाटित किए गए आयात घरेलू उद्योग को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्राधिकरण ने इस प्रारंभिक निष्कर्षों के एक भाग के रूप में अनंतिम रूप से निर्धारित किया है कि जांच की अवधि के दौरान सहयोगी निर्यातकों का पाटन माजन महत्वपूर्ण है।

IX. घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

119. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग को छोड़कर, भारत में उत्पाद का एक अन्य उत्पादक है जिसने अनुप्रयोग का समर्थन किया है। देश में मांग को देखते हुए दूसरे उत्पादक की क्षमता काफी कम है। इसलिए, अन्य उत्पादक ऐसा कारक नहीं हो सकता जिसने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित किया हो।

120. अवतरण मूल्य घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री मूल्य से कम हैं। आयात मूल्य घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि हुई है। अतः प्राधिकरण अनंतिम रूप से यह मानता है कि पाटित आयात ही एकमात्र कारक है जो घरेलू मूल्यों को प्रभावित कर रहा है।

X. क्षति पर निष्कर्ष

121. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, निम्नलिखित को अनंतिम रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है: -

- क. जांच की अवधि में संबंधित देशों से आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है। आयातों में निरपेक्ष रूप से और सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। तथापि, आयातों में वृद्धि देश में मांग और आपूर्ति के बीच भारी अंतर के कारण हुई।
- ख. जांच की अवधि में आयात का उतराई तक मूल्य घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य से कम होता है जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक मूल्य में कमी आती है।
- ग. घरेलू उद्योग का बिक्री मूल्य बिक्री लागत के अनुरूप नहीं बढ़ा है। कम कीमत वाले आयात ने घरेलू उद्योग को कीमतें बढ़ाने से रोक दिया है। कम कीमत वाले आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर दिया है।
- घ. घरेलू उद्योग को मात्रा मानकों पर क्षति नहीं पहुंची है। घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में सुधार हुआ है। पाटित आयातों का हानिकारक प्रभाव केवल मूल्य पैरामीटरों पर महसूस किया जाता है।
- ङ. घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा, नकद घाटा और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल मिल रहा है।
- च. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को नकारात्मक योगदान का सामना करना पड़ा है।
- छ. विचाराधीन उत्पाद की पाटन ने घरेलू उद्योग की विस्तार योजनाओं को बाधित किया है।

ज. गैर-एट्रिब्यूशन विश्लेषण

122. इन नियमों के अनुसार, प्राधिकरण को *अन्य बातों के साथ-साथ* पाटित आयातों के अलावा किन्हीं ज्ञात कारकों, जो इसके साथ-साथ घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं, की जांच करना अपेक्षित है ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति पाटित आयातों के कारण न हो। इस संबंध में प्रासंगिक कारकों में, *अन्य बातों के साथ-साथ*, पाटित मूल्यों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और मूल्य, मांग में कमी अथवा उपभोग के पैटर्न में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार और प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और निर्यात निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं। नीचे यह जांच की गई है कि क्या डंप किए गए आयातों के अलावा अन्य कारक नुकसान में योगदान दे सकते हैं।

क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

123. विषय देशों के अलावा, *न्यूनतम* सीमा से ऊपर आयात यूरोपीय संघ और जापान से हैं।

- क. यह देखा गया है कि जांच की अवधि में जापान से आयात में गिरावट आई है। इसके अलावा, जापान से आयात मूल्य संबंधित देशों से आयात मूल्य और घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य से अधिक है। इसलिए, जापान से आयात घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं हो सकता था।
- ख. यह देखा गया है कि क्षति की अवधि के दौरान यूरोपीय संघ से आयातों ने कोई विशेष प्रवृत्ति नहीं दिखाई है। वर्ष 2020-21 में जब संबंधित देशों से आयात में गिरावट आई, तो यूरोपीय संघ से आयात में वृद्धि हुई। जबकि यूरोपीय संघ से आयात जांच की अवधि में बढ़ा है, वे 2019-20 और 2020-21 में अपने स्तर की तुलना में कम हैं। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि यूरोपीय संघ से आयात मूल्य आयात मूल्य की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। इसलिए, यूरोपीय संघ से आयात घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं हो सकता था।

ख. मांग में संकुचन

124. क्षति की अवधि के दौरान संबंधित उत्पाद की मांग में लगातार वृद्धि हुई है। अतः मांग में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

ग. खपत का पैटर्न

125. उपभोग के पैटर्न में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन प्राधिकरण की जानकारी में नहीं आया है और न ही किसी इच्छुक पक्ष ने इस संबंध में कोई निवेदन किया है।

घ. प्रतियोगिता की शर्तें

126. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिस्पर्धा अथवा व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं की ऐसी कोई शर्त नहीं है जो घरेलू उद्योग को हुई दागी गई क्षति का कारण हो सकती है।

ङ. प्रौद्योगिकी में विकास

127. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रौद्योगिकी में कोई विकास नहीं हुआ है, जिससे घरेलू उद्योग को नुकसान हो सकता है।

च. घरेलू उद्योग का निर्यात प्रदर्शन

128. घरेलू और निर्यात बाजार में मूल्य और लाभप्रदता को वर्तमान क्षति मूल्यांकन के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा अलग किया गया है। इसलिए, निर्यात निष्पादन को संभावित रूप से शामिल करने के कारण क्षति पर विश्लेषण गलत नहीं है।
129. यह देखा गया है कि ऐसा कोई अन्य कारक नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो सकती थी। इसलिए, प्राधिकरण अनंतिम रूप से मानता है कि घरेलू उद्योग को हुई भौतिक क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है जैसा कि नीचे द्वारा स्थापित है।

- क. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि हुई है जबकि आयात की आयात कीमत में गिरावट आई है। आयात की उतराई तक की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री मूल्य से काफी कम है।
- ख. घरेलू उद्योग को उतराई तक के मूल्य में गिरावट के अनुरूप इसके मूल्य कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में *** मूल्य संशोधन किए हैं।
- ग. घटते मूल्यों पर कम मूल्यों पर आयात मूल्य में लगातार वृद्धि के परिणामस्वरूप आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी और गिरावट की है।
- घ. पाटित किए गए आयातों के कारण होने वाले मूल्य दबाव से वित्तीय नुकसान, नकद नुकसान और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक रिटर्न हुआ है। घरेलू उद्योग ने नकारात्मक योगदान के साथ काम किया है।

झ. क्षति मार्जिन का परिमाण

130. प्राधिकरण ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमों में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर आवेदकों के लिए गैर-हानिकारक मूल्य निर्धारित किया है। अहानिकर कीमत का निर्धारण आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। गैर-हानिकारक मूल्य की तुलना क्षति माजन की गणना के लिए संबंधित देशों से विचाराधीन उत्पाद के अवतरण मूल्य से की गई है। गैर-हानिकारक मूल्य

निर्धारित करने के लिए, कच्चे माल और उपयोगिताओं के सर्वोत्तम तिमाही उपयोग और उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम तिमाही उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण या गैर-आवर्ती व्यय और/या परिसंपत्तियों को उत्पादन लागत और/या एनआईपी से बाहर रखा गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात्, औसत निवल अचल आस्तियां प्लस औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित प्रतिलाभ (पूर्व-कर @ 22%) को व्याज, निगमित कर और लाभ की वसूली के लिए नियमों के अनुबंध-III में यथा निर्धारित गैर-हानिकारक मूल्य पर पहुंचने की अनुमति दी गई है।

क्र.सं.	विशेष	पीसीएन	एनआईपी	लैंडेड मूल्य	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
			यूएसडी/एमटी	यूएसडी/एमटी	यूएसडी/एमटी	%	श्रेणी
1	चीन पीआर						
क	फॉर्मोसा इंडस्ट्रीज (निंगबो) कंपनी लिमिटेड	कुल	***	***	***	***	50-60%
		मध्यम	***	***	***	***	40-50%
		उच्च	***	***	***	***	50-60%
ख	शेनयांग केमिकल कंपनी लिमिटेड	कुल	***	***	***	***	0-10%
		मध्यम	***	***	***	***	20-30%
		उच्च	***	***	***	***	नेгатिव
ग	कोई अन्य	औसत	***	***	***	***	50-60%
2	कोरिया आरपी						
क	मेसर्स हनवा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन	कुल	***	***	***	***	20-30%
		मध्यम	***	***	***	***	20-30%
		उच्च	***	***	***	***	20-30%
ख	कोई अन्य	औसत	***	***	***	***	30-40%
3	मलेशिया						
क	कनेका पेस्ट पॉलिमर एसडीएन बीएचडी	कुल	***	***	***	***	20-30%
		मध्यम	***	***	***	***	20-30%
		उच्च	***	***	***	***	20-30%
ख'	कोई अन्य	औसत	***	***	***	***	30-40%
4	ताइवान						
क	फॉर्मोसा प्लास्टिक कॉर्पोरेशन	कुल	***	***	***	***	30-40%
		मध्यम	***	***	***	***	20-30%

		उच्च	***	***	***	***	30-40%
ख	कोई अन्य	औसत	***	***	***	***	30-40%
5	थाईलैंड						
क	टीपीसी पेस्ट रेज़िन कंपनी लिमिटेड	कुल	***	***	***	***	20-30%
		मध्यम	***	***	***	***	30-40%
		उच्च	***	***	***	***	10-20%
ख	कोई अन्य	औसत	***	***	***	***	20-30%
6	नॉर्वे	कुल	***	***	***	***	20-30%
		मध्यम	***	***	***	***	20-30%
		उच्च	***	***	***	***	40-50%

ज. भारतीय उद्योग के मुद्दे

ज.1 विरोधी इच्छुक पक्षों की ओर से प्रस्तुतियाँ की गईं।

131. विरोधी इच्छुक पक्षों ने भारतीय उद्योग के मुद्दे पर निम्नानुसार प्रस्तुत किया है।

- क. एक बड़ी मांग आपूर्ति अंतर है, और उपयोगकर्ताओं को उत्पाद आयात करने के लिए मजबूर किया जाता है।
- ख. उत्पाद पर पहले भी पाटन रोधी शुल्क लगाई गई थी और इस तरह के उपायों के माध्यम से सुरक्षा का उपयोग घरेलू उद्योग द्वारा इस समय तक अपनी क्षमता का विस्तार करने के लिए नहीं किया गया था।
- ग. यदि पाटन रोधी उपाय लागू किए जाते हैं, तो डाउनस्ट्रीम उद्योग के उत्पादन की लागत 10-15% बढ़ जाएगी।
- घ. यह घरेलू उद्योग की अपेक्षित मात्रा में सभी आवश्यक ग्रेडों की आपूर्ति करने में असमर्थता है जो प्रयोक्ताओं को आयात करने के लिए बाध्य करती है।
- ङ. भारत में कई हजार अंतिम उपयोगकर्ता ज्यादातर एमएसएमई श्रेणी में हैं और पाटन रोधी शुल्क लगाने से उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- च. भारत सरकार पीवीसी पेस्ट रेज़िन पर अनिवार्य मानक प्रमाणन आवश्यकता को लागू करने की प्रक्रिया में है जो एक गैर-टैरिफ बाधा पैदा करेगा। प्रस्तावित बीआईएस मानक को ध्यान में रखते हुए पाटन रोधी शुल्क लगाई जानी चाहिए।
- छ. घरेलू उद्योग पहले ही 15 साल से अधिक समय से विभिन्न देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद पर पाटन रोधी शुल्क का लाभ उठा चुका है।

ज.2 घरेलू उद्योग की ओर से दी गई प्रस्तुतियाँ

132. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के मुद्दे पर निम्नानुसार प्रस्तुत किया है।

- क. घरेलू उद्योग ने 350 करोड़ रुपये की लागत से 43,000 मीट्रिक टन की क्षमता वृद्धि शुरू की है और आगे 35,000 मीट्रिक टन का क्षमता विस्तार कर रहा है। यह मांग और आपूर्ति के अंतर को काफी हद तक पाट देगा।
- ख. अंतिम उत्पादों पर पीवीसी पेस्ट की कीमत में 20% की वृद्धि का प्रभाव नगण्य होगा। टॉप सेगमेंट कार, फुटवियर और सोफा सेट के मामले में प्रभाव केवल 0.03%, 0.15% और 0.15% होगा।

- ग. सिंथेटिक लेदर का उपयोग केवल उच्च खंड की कारों में किया जाता है और निम्न खंड की कारों के मामले में नहीं। इसी तरह, सोफे पर खर्च करने के लिए एक छोटी जेब वाला उपभोक्ता या तो सिंथेटिक चमड़े की औसत गुणवत्ता वाला सोफा खरीदेगा, जिसमें विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा कम होगा या केवल कपड़े की सामग्री से बना सोफा खरीदेगा। इसलिए कम भुगतान क्षमता वाले लोगों पर पाटन रोधी शुल्क का असर महसूस नहीं होगा।
- घ. घरेलू उद्योग ने कभी भी पाटन रोधी शुल्क का पूरा लाभ नहीं उठाया है। विगत में लागू शुल्कों को ध्यान में रखते हुए, पाटनरोधी शुल्क सहित अवतरण मूल्य भारतीय उद्योग के बिक्री मूल्य से अधिक था।
- ङ. पूर्व में उत्पाद पर शुल्क लगाया गया है। इस तरह के थोपने का उस समय कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। इसके अलावा, कर्तव्यों की समाप्ति भी सकारात्मक प्रभाव डालने में विफल रही। उत्पाद की मांग तब भी लगातार बढ़ी है जब शुल्क लागू थे।
- च. डाउनस्ट्रीम उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होने की संभावना नहीं है क्योंकि डाउनस्ट्रीम उत्पादों का निर्यात उस अवधि से लगातार बना हुआ है जब शुल्क लागू थे जब शुल्क समाप्त हो गए थे।
- छ. डाउनस्ट्रीम उद्योग के लाभ पीवीसी पेस्ट की कीमत से स्वतंत्र रूप से चलते हैं। पीवीसी पेस्ट की कीमत बढ़ने पर भी कृत्रिम चमड़े की बिक्री से अर्जित लाभ में वृद्धि हुई।
- ज. डाउनस्ट्रीम उद्योग एक पास-श्रु उद्योग है।
- झ. कृत्रिम चमड़े के कपड़ों के लिए, कुल लागत में विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा केवल 22% है।
- ञ. संबंधित देशों से सीआईएफ आयात मूल्य 2021-22 में 1,33,427 रुपये प्रति मीट्रिक टन था। पाटनरोधी उपायों पर विचार करने के बाद भी आयात की उतराई तक की कीमत उस स्तर तक नहीं बढ़ेगी।
- ट. घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद में आयातित उत्पाद की तुलना में कम लीड समय होता है। वास्तव में, विषय देशों से औसत समुद्री माल ढुलाई का समय 10 से 22 दिनों तक होता है।
- ठ. इस शुल्क से आपत में कमी नहीं होगी क्योंकि घरेलू उद्योग क्षमता अभिवृद्धि कर रहा है और विचाराधीन उत्पाद का आयात गैर-पाटित मूल्यों पर गैर-विषय देशों से भी किया जाता है।
- ड. घरेलू उद्योग के पास एथिलीन डार्ड क्लोराइड का *** मीट्रिक टन का संयंत्र है और पूरे उत्पादन की खपत उत्पाद में की जाती है। यदि विचाराधीन उत्पाद का संयंत्र बंद हो जाता है या उत्पादन निलंबित कर दिया जाता है, तो यह एथिलीन डी क्लोराइड संयंत्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।
- ढ. शुल्क अधिरोपण से समान अवसर सृजित होंगे और घरेलू उद्योग उचित शर्तों पर बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे और अपनी तेजी से गिरती वित्तीय स्थिति को उबारेंगे।
- ण. पाटन रोधी कर्तव्यों के उद्देश्य को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम प्राधिकरण [2006 (202) ईएलटी 23 (एससी)] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी मान्यता दी गई है, जिसमें यह उजागर किया गया था कि पाटन रोधी कानून द्वारा निर्भाई गई भूमिका एक आधुनिक, उच्च औद्योगिक, शक्तिशाली राज्य बनाने के भारत के राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करने में मदद करती है।

अ.3 प्राधिकरण द्वारा समीक्षा


133. प्राधिकरण इस बात को रेखांकित करता है कि पाटन रोधी शुल्क का प्राथमिक उद्देश्य पाटन के अन्यायपूर्ण व्यापार प्रथाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को ठीक करना है, जिससे भारतीय बाजार में खुली और न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा के वातावरण को बढ़ावा मिलता है। पाटनरोधी उपायों की सिफारिश, यदि कोई हो, संबंधित देशों से मनमाने ढंग से आयातों को कम करने के लिए तैयार नहीं की गई है। बल्कि, यह पाटन, क्षति और दोनों के बीच कारण लिंक के संबंध में एक विस्तृत विश्लेषण पर आधारित है और एक स्तर के खेल मैदान को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का सार इस तरह के उपायों की उपस्थिति से पूरा नहीं होगा। घटती प्रतिस्पर्धा से दूर, पाटनरोधी उपाय पाटन पद्धतियों के माध्यम से अनुचित लाभों के अर्जन को रोकने का काम करते हैं। यह विचाराधीन उत्पाद के व्यापक चयन के लिए उपभोक्ताओं की पहुंच की सुरक्षा करता है। इस प्रकार, पाटन रोधी शुल्क एक बाधा नहीं है, बल्कि निष्पक्ष-व्यापार प्रथाओं का एक सूत्रधार है।

134. प्राधिकरण ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य सहित सभी इच्छुक पार्टियों से विचार आमंत्रित करते हुए दीक्षा अधिसूचना जारी की। प्राधिकरण ने उपयोगकर्ताओं/उपभोक्ताओं के लिए उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के किसी संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच के बारे में संगत सूचना प्रदान करने के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है। प्राधिकरण ने आयातकों सहित सभी इच्छुक पक्षों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। उपभोक्ता और अन्य इच्छुक पक्ष। प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं के लिए उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव सहित वर्तमान जांचों के संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है। प्राधिकरण ने विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की विनिमेयता, स्रोतों को बदलने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटन रोधी शुल्क के प्रभाव, पाटन रोधी शुल्क लगाने के कारण नई स्थिति में समायोजन में तेजी लाने या देरी करने की संभावना वाले कारकों के बारे में जानकारी मांगी।
135. निम्नलिखित उपयोगकर्ताओं ने वर्तमान जांच में एक इच्छुक पार्टी के रूप में खुद को पंजीकृत किया।

क्र.सं.	भारत में विचाराधीन उत्पाद का उपयोगकर्ता/आयातक
1	एसी पॉलीकोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2	अरिटास विनाइल प्राइवेट लिमिटेड
3	अरोडा विनाइल प्राइवेट लिमिटेड
4	एवी यूनिकोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
5	बीता पॉली कोट्स प्राइवेट लिमिटेड
6	डिलाइट कलेक्शंस प्राइवेट लिमिटेड
7	जस्च इंडस्ट्रीज लिमिटेड
8	क्लासिक लैमाइटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
9	मार्वल विनाइल्स लिमिटेड
10	मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड
11	पोलिनोवा इंडस्ट्रीज लिमिटेड
12	प्रीमियर पॉली फिल्म लिमिटेड
13	प्रेरणा रेक्स प्राइवेट लिमिटेड
14	प्रेरणा रेक्स प्राइवेट लिमिटेड
15	आरएमजी पॉलीविनाइल इंडिया लिमिटेड
16	शिव पॉलिमर्स

136. प्राधिकरण ने सभी इच्छुक पाटयों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण की जांच की है।
137. मांग और आपूर्ति के भारी अंतर पर प्रस्तुतीकरण के संबंध में, प्राधिकरण ने नोट किया कि घरेलू उद्योग ने पहले ही 350 करोड़ रुपये की लागत से 43,000 मीट्रिक टन का क्षमता विस्तार किया है। घरेलू उद्योग ने यह भी कहा है कि उनकी योजना 35,000 मीट्रिक टन क्षमता बढ़ाने की है। घरेलू उद्योग वर्तमान में भारत में उत्पाद की लगभग *** % मांग को पूरा कर रहा है। पहले से ही किए गए विस्तार के साथ, यह देश में *** % से अधिक मांग को पूरा करने में सक्षम होगा। यह भी देखा गया है कि भारत में मांग को पूरा करने वाला एक अन्य उत्पादक है और विभिन्न अन्य स्रोतों से भी आयात हो रहा है। प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि देश में मांग-आपूर्ति का अंतर घरेलू उद्योग को डंप किए गए आयातों से निवारण की मांग करने से नहीं रोकता है, न ही यह पाटन कीमतों पर निर्यात को उचित ठहराता है। जैसा कि डीएसएम इडेमिन्सु लिमिटेड बनाम नामित प्राधिकारी के मामले में सीईएसटीएटी द्वारा आयोजित किया गया था, मांग-आपूर्ति अंतर पाटन को उचित नहीं ठहराता है। विदेशी उत्पादक हमेशा बिना पाट किए गए मूल्यों पर उत्पाद बेचकर भारतीयों की मांग को पूरा कर सकते हैं। एंटी पाटन शुल्क लगाने के बाद भी देश में आयात पर रोक नहीं है।

138. यह भी देखा गया है कि विगत में विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जा रहा था। रिकॉर्ड पर मौजूद जानकारी के आधार पर, यह देखा गया है कि पाटन रोधी शुल्क होने के बावजूद, उत्पाद की मांग में वृद्धि जारी रही थी। जबकि 2020-21 में मांग में गिरावट आई थी, यह कोविड के प्रकोप के कारण थी।



स्रोत – घरेलू उद्योग द्वारा दायर EIQ

139. घरेलू उद्योग ने अंतिम उत्पाद पर पाटन रोधी शुल्क का प्रभाव प्रदान किया है। दावा किया गया है कि डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री एक पास-थ्रू इंडस्ट्री है और एंटी पाटन शुल्क का असर एंड यूजर पर पड़ेगा। घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रभाव प्रदान किए हैं।

क्र.सं.	अंतिम डाउनस्ट्रीम अच्छा	कार (मिड सेगमेंट कार में टॉप मॉडल)	जूते	सोफा सेट
1	अंतिम उत्पाद की लागत	11,00,000	1,000	75,000
2	कुल लागत में चमड़े के कपड़े का हिस्सा	0.68%	3.50%	3.33%
3	कुल लागत में पीवीसी पेस्ट का हिस्सा	0.15%	0.77%	0.73%
4	20% पाटन रोधी कर्तव्यों का प्रभाव	0.03%	0.15%	0.15%

स्रोत – घरेलू उद्योग द्वारा दायर EIQ

140. रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर, यह देखा गया है कि कर्तव्यों का प्रभाव नगण्य होगा।
141. घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि पिछले दिनों उत्पाद की कीमत अधिक थी, और हाल के दिनों में ही कीमतों में गिरावट आई है। यहां तक कि अगर 20% के पाटन रोधी शुल्क पर विचार किया जाता है, तो पाटन रोधी शुल्क सहित कीमत अतीत में कीमत से कम होगी। इसलिए, जब पिछली उच्च कीमतों का प्रयोक्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा था, तो प्रस्तावित उपायों का भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्राधिकरण ने भाग लेने वाले उपयोक्ताओं द्वारा दायर प्रतिक्रिया की जांच की है। यह देखा गया है कि डाउनस्ट्रीम उद्योग स्वस्थ लाभ कमा रहा था जब विचाराधीन उत्पाद की कीमतें सर्वकालिक उच्च स्तर पर थीं।
142. इसलिए, प्राधिकरण का मानना है कि हालांकि पाटन रोधी शुल्क लगाने की स्थिति में भारत में उत्पाद का मूल्य स्तर प्रभावित हो सकता है, लेकिन भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा ऐसे पाटन रोधी उपायों से कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय पाटन पद्धतियों द्वारा अजत अनुचित लाभ को कम कर सकते हैं, जिससे घरेलू उद्योग की गिरावट को भौतिक क्षति दोनों में कमी आएगी और इससे विषयगत वस्तुओं के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
143. अतः प्राधिकरण अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से जनहित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ट. निष्कर्ष और सिफारिश

144. इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए सबमिशन और उसमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि:
- क. वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद 'पाली विनाइल क्लोराइड पेस्ट राल' है, जिसे इमल्शन पीवीसी राल भी कहा जाता है।
 - ख. 60K से नीचे K मान के साथ पीवीसी पेस्ट राल, पीवीसी सम्मिश्रण राल, पीवीसी पेस्ट राल के सह-पॉलिमर और बैटरी विभाजक रेजिन विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।
 - ग. इनोविन यूरोप लिमिटेड द्वारा निर्मित बायोविन इस स्तर पर विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है।
 - घ. केमप्लास्ट सनमार लिमिटेड, नियमों के नियम 2(बी) के अर्थ के तहत 'घरेलू उद्योग' का गठन करता है और आवेदन नियम 5(3) के अनुसार खड़े होने के मानदंडों को पूरा करता है।
 - ङ. विचाराधीन उत्पाद के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य को ध्यान में रखते हुए, संबंधित देशों से विचाराधीन उत्पाद के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है, और मार्जिन काफी सकारात्मक हैं। निर्यातकों द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में पाटन के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।
 - च. विचाराधीन उत्पाद के आयात की जांच से पता चलता है कि जांच की अवधि में चीन से डंप किए गए आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है। आयातों में निरपेक्ष रूप से तथा उत्पादन और खपत दोनों के संबंध में वृद्धि हुई है।
 - छ. आयात मूल्य घरेलू उद्योग के विक्री मूल्य से नीचे है जिसके परिणामस्वरूप कीमत में कमी आई है।
 - ज. आयात मूल्य उत्पादन लागत के अनुरूप नहीं बढ़ा है जिसने घरेलू उद्योग को उत्पादन लागत में वृद्धि के अनुरूप अपने मूल्यों में वृद्धि करने से रोका है। इस प्रकार आयातों ने घरेलू उद्योग को उत्पादन लागत में वृद्धि के अनुरूप अपने मूल्यों में वृद्धि करने से रोक दिया है।
 - झ. घरेलू उद्योग को मात्रा मानकों पर क्षति नहीं पहुंची है। घरेलू उद्योग के उत्पादन और विक्री में सुधार हुआ है। पाटित आयातों का हानिकारक प्रभाव केवल मूल्य पैरामीटरों पर महसूस किया जाता है।
 - ञ. घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा, नकद घाटा और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल मिल रहा है।
 - ट. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को नकारात्मक योगदान का सामना करना पड़ा है।
 - ठ. विचाराधीन उत्पाद की पाटन ने घरेलू उद्योग की विस्तार योजनाओं को बाधित किया है।
 - ड. सभी प्रतिभागी उत्पादकों के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन सकारात्मक है।
 - ढ. प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले किन्हीं अन्य कारकों के संबंध में अन्य पाटनों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण की जांच की है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी अन्य कारक से घरेलू उद्योग को नुकसान नहीं हुआ है। प्राधिकरण प्रारंभिक रूप से यह निष्कर्ष निकालता है कि घरेलू उद्योग को हुई भौतिक क्षति संबंधित देशों से पाटित आयातों के कारण हुई है।
 - ण. पाटनरोधी शुल्क लगाने से ग्राहकों के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। विचाराधीन उत्पाद का आयात होता रहेगा। घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता का विस्तार किया है और गैर-विषय देशों से भी आयात हो रहे हैं।
 - त. प्राधिकरण ने प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा निर्धारित की है। यह देखा गया है कि अंतिम अंतिम उपभोक्ताओं पर प्रस्तावित उपायों का प्रभाव नगण्य होगा।
145. प्राधिकरण नोट करता है कि जांच शुरू की गई थी और सभी इच्छुक पार्टियों को अधिसूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य इच्छुक पार्टियों को पाटन, क्षति, कारण लिंक और अनुशंसित उपायों के प्रभाव के पहलू पर सकारात्मक जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत निर्धारित उपबंधों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने और करने के बाद प्राधिकरण का ध्यान है कि पाटन और क्षति की भरपाई के लिए अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाना अपेक्षित है। प्राधिकरण इसे आवश्यक समझता है और संबंधित देशों से संबंधित वस्तुओं के आयात पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।

146. नियमों के नियम 4 (डी) के साथ पठित नियम 12 और नियम 13 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में, प्राधिकरण पाटन के मार्जिन और क्षति के मार्जिन के बराबर अनंतिम पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है, ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकरण केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से संबंधित देशों में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित संबंधित वस्तुओं के आयात पर नीचे संलग्न शुल्क तालिका के क्रम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	उप शीर्षक या टैरिफ आइटम	माल का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	निर्माता	शुल्क (\$/एमटी)
1	2	3	4	5	6	7
1	39041010 39041020 39041090 39042100 39042200 39043010 39043090 39049000 39044000 39049090 #	'पाँली विनाइल क्लोराइड पेस्ट राल', जिसे इमल्शन पीवीसी राल भी कहा जाता है#	पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना	पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सहित कोई भी देश	फॉर्मोसा इंडस्ट्रीज (निंगबो) कंपनी लिमिटेड	546
2.	-वही-	'पाँली विनाइल क्लोराइड पेस्ट राल', जिसे इमल्शन पीवीसी राल भी कहा जाता है#	पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना	पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सहित कोई भी देश	शेनयांग केमिकल कंपनी लिमिटेड	115
3	-वही-	'पाँली विनाइल क्लोराइड पेस्ट राल', जिसे इमल्शन पीवीसी राल भी कहा जाता है#	पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना	पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सहित कोई भी देश	ऊपर उल्लिखित क्र.स. 1 और 2 के अलावा कोई भी निर्माता	600
4	-वही-		कोई भी	पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना	कोई भी	600
5	-वही-	'पाँली विनाइल क्लोराइड पेस्ट राल', जिसे इमल्शन पीवीसी राल भी कहा जाता है#	कोरिया आरपी	कोरिया आरपी सहित कोई भी देश	हनवा सॉल्यूशन कॉर्पोरेशन	शून्य
6	-वही-	'पाँली विनाइल क्लोराइड पेस्ट राल', जिसे इमल्शन पीवीसी	कोरिया आरपी	कोरिया आरपी सहित कोई भी देश	ऊपर उल्लिखित क्र.स. 5 के अलावा कोई भी निर्माता	41

		राल भी कहा जाता है#				
7	-वही-	'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट राल', जिसे इमल्शन पीवीसी राल भी कहा जाता है#	कोई भी	कोरिया आरपी	कोई भी	41
8	-वही-	'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट राल', जिसे इमल्शन पीवीसी राल भी कहा जाता है#	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई भी देश	कनेका पेस्ट पॉलिमर एसडीएन बीएचडी	317
9	-वही-	'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट राल', जिसे इमल्शन पीवीसी राल भी कहा जाता है#	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई भी देश	ऊपर उल्लिखित क्र.स. 8 के अलावा कोई भी निर्माता	375
10	-वही-	'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट राल', जिसे इमल्शन पीवीसी राल भी कहा जाता है#	कोई भी	मलेशिया	कोई भी	375
11	-वही-	'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट राल', जिसे इमल्शन पीवीसी राल भी कहा जाता है#	ताइवान	ताइवान सहित कोई भी देश	फॉर्मोसा प्लास्टिक कॉर्पोरेशन	118
12	-वही-	'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट राल', जिसे इमल्शन पीवीसी राल भी कहा जाता है#	ताइवान	ताइवान सहित कोई भी देश	ऊपर उल्लिखित क्र.स. 11 के अलावा कोई भी निर्माता	168
13	-वही-	'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट राल', जिसे इमल्शन पीवीसी राल भी कहा जाता है#	कोई भी	ताइवान	कोई भी	168
14	-वही-	'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट राल', जिसे इमल्शन पीवीसी राल भी कहा जाता है#	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई भी देश	टीपीसी पेस्ट रेजिन कंपनी लिमिटेड	195
15	-वही-	'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट राल', जिसे इमल्शन पीवीसी राल भी कहा जाता है#	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई भी देश	ऊपर उल्लिखित क्र.स. 14 के अलावा कोई भी निर्माता	252
16	-वही-	'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट राल', जिसे इमल्शन पीवीसी राल भी कहा जाता है#	कोई भी	थाईलैंड	कोई भी	252

17	-वही-	'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट राल', जिसे इमल्शन पीवीसी राल भी कहा जाता है#	नॉर्वे	नॉर्वे सहित कोई भी देश	कोई भी	328
18	-वही-	'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट राल', जिसे इमल्शन पीवीसी राल भी कहा जाता है#	कोई भी	नॉर्वे	कोई भी	328

इनोविन यूरोप लिमिटेड द्वारा निर्मित ब्रांड नाम "बायोविन" विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है।

सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ठ. आगे की प्रक्रिया

147. प्रारंभिक निष्कर्षों को अधिसूचित करने के बाद नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन किया जाएगा: -

- क. प्राधिकरण इन निष्कर्षों के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर सभी इच्छुक पक्षों से इन अंतिम निष्कर्षों पर टिप्पणियां आमंत्रित करता है और अंतिम निष्कर्ष में इस पर विचार किया जाएगा।
- ख. प्राधिकरण नियमों के नियम 6(6) के अनुसार मौखिक सुनवाई आयोजित करेगा ताकि सभी इच्छुक पक्षों को जांच से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके।
- ग. मौखिक सुनवाई की तारीख की घोषणा डीजीटीआर की वेबसाइट पर की जाएगी।
- घ. प्राधिकरण आवश्यक सीमा तक आगे सत्यापन करेगा।
- ङ. प्राधिकरण अंतिम निष्कर्षों की घोषणा करने से पहले नियमों के अनुसार आवश्यक तथ्यों का खुलासा करेगा।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2024

PRELIMINARY FINDINGS

Case No. AD(OI) – 16/2023

Subject: Preliminary findings in the anti-dumping investigation concerning imports of "Poly Vinyl Chloride Paste Resin" originating in or exported from China PR, Korea RP, Malaysia, Norway, Taiwan & Thailand.

F. No. 6/17/2023-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereafter also referred to as "the Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred to as "AD Rules");

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Chemplast Sanmar Limited ("hereinafter referred to as the 'applicant' or the 'domestic industry') had filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority') in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter referred to as the 'Act') as amended from time to time and the Anti-dumping Rules, 1995 (hereinafter referred to as the "Rules"), for the initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of 'Poly Vinyl Chloride Paste Resin' (hereinafter also referred to as the 'product under consideration' or the 'subject goods' or the 'PUC') from China PR, Korea RP, Malaysia, Norway, Taiwan and Thailand (hereinafter also referred to as the 'subject countries').

2. The Authority, on the basis of sufficient *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, issued a public notice vide Notification No. 06/17/2023-DGTR dated 30th September 2023, published in the Gazette of India – Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with the Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic injury.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
- The Authority notified the embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the Rules.
 - The Authority issued a public notice dated 30th September 2023 published in the Gazette of India – Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning imports of the product under consideration from the subject countries.
 - The Authority sent a copy of the initiation notification to the embassies of the subject countries in India, the known producers and exporters from the subject countries, the known importers/users in India, and the other interested parties, as per the email addresses made available by the domestic industry. The interested parties were requested to provide relevant information in the form and manner prescribed in the initiation notification and make their submissions known in writing within the time limits prescribed in the initiation notification.
 - The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application filed by the domestic industry to the known producers/exporters and to the embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
 - The embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their respective countries to submit their responses to the questionnaire within the time limit prescribed in the initiation notification. Embassies of the subject countries were also sent a copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.
 - The Authority also issued an Economic Interest Questionnaire (hereafter referred to as the 'EIQ') to the interested parties, including the Department of Chemicals & Petrochemicals, seeking inputs on the economic impact of the proposed duties. The information received from all the parties have been considered for the purpose of the present determination.
 - The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules.

S. No.	Subject country	Producer/Exporter
1	China PR	i. Hebei Weihang Biotechnology Co Ltd
		ii. Henan Fengbai Industrial Co Ltd
		iii. Shanxi Solid Industrial Co Ltd
		iv. Shenyang Chemical Co Ltd
		v. Tainjin Bohai Chemical Industries Import and Export Corporation
		vi. Tianjin Chemical Plant Ltd
2	Korea RP	i. Bricon Co Ltd
		ii. GP Company Ltd
		iii. Hanhwa Chemicals Ltd
		iv. M/S Hanhwa Solutions Chemical Ltd
		v. LG Chem Ltd
		vi. Seino Logix Co Ltd
3	Malaysia	i. Kaneka Paste Polymers Sdn. Bhd.
		ii. MK Resources Co. Ltd.

		iii. PT Jasindo
		iv. Sun Ace Kakoh (Malaysia) Sdn. Bhd.
4	Norway	Inovyn Europe Ltd
5	Taiwan	i. Centary Faith Industrial Ltd
		ii. Ocean Plastics Co Ltd
		iii. YAOI Fabric Co Ltd
6	Thailand	i. Gramms International Ltd
		ii. NABA Chem
		iii. Nizza Plastic Co Ltd
		iv. Thai Polyethylene Co Ltd

h. In response to the above notification, the following producers/exporters from the subject countries have registered themselves as interested parties:

S. No.	Subject country	Producer/Exporter
1	China PR	i. CNSIG Jilantai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd
		ii. China Salt Chemical Trading Co., Ltd
		iii. CNSIG Inner Mongolia Sodium Industry Co., Ltd.
		iv. CNSG Jilantai Polymer Materials Co., Ltd.
		v. Tianwei Chemical Co. Ltd.
		vi. Grand Dignity Industrial Co. Ltd
		vii. Formosa Industries (Ningbo) Co., Ltd
		viii. Ordos Junzheng Energy & Chemical Industry Co., Ltd
		ix. Linkland Enterprise Shanghai Co., Ltd
		x. Shenyang Chemical Co. Ltd
2	Korea RP	i. LG Chem Ltd
		ii. M/S Hanwha Solutions Corporation
3	Malaysia	Kaneka Paste Polymers Sdn. Bhd.
4	Norway	Inovyn Europe Ltd
5	Taiwan	Formosa Plastics Corporation

- i. The producers/exporters from the subject countries who have not submitted the questionnaire response or have not co-operated in the investigation have been treated as non – co-operative in the investigation.
- j. The Authority also sent questionnaires to the following known importers/users of the product under consideration in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of Rules.

S. No.	User/importer
1	AC Polycoaters Private Limited
2	Advance Molecules
3	Aggarwal Coated Fab Private Limited
4	Akshat Plastics Private Limited
5	Arora Vinyl Private Limited
6	AV Unicoaters Private Limited
7	AVR Overseas Private Limited
8	Coco Tufters Private Limited

9	Colence International Private Limited
10	Floor Gardens
11	HR Polycoats Private Limited
12	International Conveyers Limited
13	Jasch Industries Limited
14	JP Petrochem Private Limited
15	Kerafibertex International Private Limited
16	Klassik Lamitex Private Limited
17	LFC Texcoat Private Limited
18	Manish Vinyls Private Limited
19	Mayur Uniquoters Limited
20	MM9 Polytrade Private Limited
21	Nueve Enterprises Private Limited
22	OM Vinyls Private Limited
23	Oswal Polychem Private Limited
24	Premier Polyfilm Limited
25	Prime Polychem Private Limited
26	Raj Overseas
27	Responsive Industries Limited
28	SD International
29	SR Polyvinyl Limited
30	SRF Limited
31	TP Polymer Private Limited
32	Zaibunco Industries Private Limited

k. The following importers/users in India have registered themselves as interested parties:

S. No.	User/importer of the product under consideration in India
1	AC Polycoaters Private Limited
2	Aritas Vinyl Private Limited
3	Arora Vinyl Private Limited
4	AV Unicoaters Private Limited
5	Beeta Poly Coats Private Limited
6	Delite Collections Private Limited
7	Jasch Industries Limited
8	Klassik Lamitex Private Limited
9	Marvel Vinyls Limited
10	Mayur Uniquoters Limited
11	Polynova Industries Limited
12	Premier Poly film Limited
13	Prerna Rex Private Limited

14	Prerna Rex Private Limited
15	RMG Polyvinyl India Limited
16	Shiv Polymers

- l. The interested parties were granted an opportunity to present their comments on the scope of the PUC and propose PCNs, if required, within a period of 15 days from the date of the circulation of the non-confidential version application which ended on 4th November 2023. Based on submissions of certain interested parties, a meeting was held on 1st December 2023 to discuss the need for PCN methodology.
- m. A request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide transaction-wise details of the imports of the subject goods for the injury investigation period and the period of investigation. The same has been received by the Authority and has been considered in this preliminary finding.
- n. The non-injurious price (hereinafter referred to as the 'NIP') has been determined based on the cost of production and reasonable profits of the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules, 1995 so as to ascertain whether anti-dumping duties lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- o. The period of investigation (hereinafter referred to as the 'POI') for the purpose of the present investigation is 1st April 2022 to March 2023 (12 months). The injury analysis period covers 1st April 2019 to 31st March 2020, 1st April 2020 to 31st March 2021, 1st April 2021 to 31st March 2022 and the POI.
- p. The Authority made available the non-confidential version of the evidence presented by various interested parties on mutual basis in the manner prescribed through Trade Notice No. 10/2018 dated 7 September 2018. The information/submissions provided by the interested parties on a confidential basis were examined concerning the sufficiency of such confidentiality claims. On being satisfied as to the sufficiency of the confidentiality claims filed by the interested parties, the Authority has considered such information/submissions as confidential. In case of non-acceptance of confidentiality claims, the interested parties were directed to submit the non-confidential version of the same and circulate it to the other interested parties.
- q. '***' in this document represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered by the Authority under Rules 7 of Rules.
- r. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation. The Authority will further examine the evidentiary documents submitted by the interested parties subsequent to preliminary findings, which will form the basis for conclusions at the time of final findings.
- s. The exchange rate for the period of investigation (April 2022 – March 2023) adopted by the Authority is 1 US\$=Rs 81.06
- t. The domestic industry, in its submissions before the Authority, stressed the dire financial situation of the domestic industry, increasing losses, including financial and cash losses, negative financial contribution and negative return on capital employed. Therefore, it requested the Authority to recommend interim measures pending final determinations.
- u. Therefore, pursuant to Section 9A (2) of the Act and Rule 12 of the Rules, having satisfied itself that sufficiently detailed information exists on record to support it, the Authority is issuing these preliminary findings.

C. THE PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. The product under consideration as defined at the stage of initiation was as follows:

“3. The product under consideration for the present investigation is 'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin.

4. PVC Paste Resin is produced using vinyl chloride monomer and is usually sold in the form of white/off-white powder. The PUC is primarily used for manufacturing artificial leather and the other uses of the product are in the manufacturing of rexene, coated fabrics, tarpaulins, conveyer beltings, toys, automotive sealant, adhesives, and gloves.

5. The following products are excluded from the scope of the PUC:

- a) *Production under consideration with a K value below 60K*
- b) *PVC Blending Resin*
- c) *Co-polymers of PVC Paste Resin*
- d) *Battery separator resins*

6. *The product under consideration is classified under Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975 under subheading 390410 of the Tariff classification and has a dedicated classification under ITC HS Code 39041010. The customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration for the proposed investigation.*

C.1 Submissions made on behalf of the opposing interested parties.

5. The opposing interested parties have made the following submissions with respect to the product under consideration and like article:
- a. Innovyn Europe Ltd requested exclusion of a special type of eco-friendly PVC paste resin with the proprietary name 'Biovyn,' which is made entirely from renewable carbon feedstock and is certified by an external auditor as complying to RSB (Roundtable on Sustainable Biomaterials) standards. Owing to the higher cost of raw materials and additional costs such as certification etc, Biovyn sells at significantly higher prices than other forms of PVC paste.
 - b. The domestic industry produces a small subset of the wide range of PVC paste resins on which the duties are being sought.
 - c. The grades manufactured by the domestic industry are not comparable with the imported product on many important counts and there is no substitutability between the two on many core parameters.
 - d. The product under consideration is produced in varying grades, determined by the K- value of the product. The price of the product also varies depending on its grade. Therefore, PCN should be determined based on K-value.
 - e. Fast gelation, low fogging properties, excellent foaming properties, excellent air release property, higher filler acceptance grade, high thixotropic grades, excellent thermal stability, excellent mechanical properties grades etc. are some of the important properties of PCNs and should be considered for PCN methodology.
 - f. Viscosity is a relevant factor for the product under consideration and the product can be classified to be of high, low and medium viscosity.
 - g. There is a dedicated customs classification for the product under consideration and all items under tariff heading 3904 are subject to customs duty at 7.5%. There is no reason for misclassification of exports.
 - h. If duties are imposed on the broader heading 3904, it will lead to unnecessary ambiguity and confusion at the time of assessment of the anti-dumping duty. Since the customs classification is only indicative, even if PVC Paste Resin is imported under another tariff heading, it would still be subject to the anti-dumping duty.

C.2 Submissions made on behalf of the domestic industry.

6. The domestic industry, in its application and in the hearing on product scope held on 1st December 2023, submitted as follows with regard to the scope of the product under consideration and the like article:
- a. PVC Paste Resin, manufactured by polymerisation of the vinyl chloride monomer, is sold as a white/off-white powder. It is primarily used for manufacturing artificial leather. The other uses of the product are in rexene, coated fabrics, tarpaulins, conveyer beltings, toys, automotive sealant, adhesives and gloves.
 - b. The product manufactured by the domestic industry is technically and commercially substitutable with the product under consideration and therefore constitutes the 'like article.'
 - b. The product under consideration is classified under Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975 under 39041010. However, the product has been imported under various other codes also.
 - c. The grades of the product are distinguished based on K-value. However, the domestic industry maintains that the cost and price do not vary significantly with the grade. However, the domestic industry has no reservations if the PCNs are proposed as High K-value and Medium K-value.
 - d. Biovyn made by M/s Inovyn Europe Ltd. and M/s Inovyn Norge AS may be excluded from the product scope for the present investigation, subject to an appropriate benchmark price which may be determined by the Authority considering the prices declared for Biovyn.

C.3 Examination by the Authority.

7. The submissions made by the opposing interested parties and the domestic industry regarding the product under consideration and the like article have been examined and addressed hereunder.

PCN methodology.

8. Based on submissions made by opposing parties, a meeting was held regarding the scope of the product under consideration and the need for PCNs on 1st December 2023. The interested parties which filed comments prior to the meeting were given an opportunity to make submissions justifying the PCN methodology proposed by them. The interested parties were informed that the Authority will not seek any further comments after the meeting and the decision on the PCN methodology will be based on the information on record. Wherever clarifications were required, the Authority asked the interested parties to provide relevant information.
9. The Authority examined the submissions made with regards to the PCN methodology. It is seen that the “CNSIG Jilantai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd.”, CNSIG Inner Mongolia Sodium Industry Co., Ltd.”, “CNSG Jilantai Polymer Materials Co., Ltd.” and “China Salt Chemical Trading Co., Ltd” had requested PCN methodology based on K-value, degree of polymerization, apparent density, volatilities etc. However, the exporters have not established how costs and prices differ on these accounts. Hanwha Solutions Corporation had requested PCN methodology based on grade or K-value but no information with respect to cost and price difference was provided. It further submitted that the claim of the domestic industry with respect to non-proposal of grade wise comparison should be rejected. The Authority further notes that K-value was considered as a PCN parameter in the previous investigations.
10. The Authority notes that the comments on the PUC/PCNs by certain users have not been considered by the Authority in formulation of the PCN methodology since these users did not adhere to the timelines prescribed by the Authority and the comments were filed at a very belated stage to merit any consideration.
11. The Authority, in view of the aforementioned adopted the PCNs based on K-value. The same were notified to the interested parties vide its communication dated 18th January 2024 which was published on DGTR’s website. The following PCN methodology has been adopted by the Authority:

S. No.	PCN Parameter	Range	Code
1	K-value	60-70	MEDIUM
2		Above 70	HIGH

a. Exclusion of the Biovyn produced by Innovyn Europe Ltd.

12. The Authority examined the submissions of the parties. It is seen that selling price for Biovyn is significantly higher than that of general PVC paste resin. The domestic industry has also admitted for exclusion of the product subject to an appropriate benchmark price. However, the Authority, at this stage, holds that the brand “Biovyn” produced by Innovyn Europe Ltd. is outside the scope of the product under consideration.

b. Regarding the customs classification of the product under consideration.

13. The product under consideration is classified under Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975 under subheading 390410 of the Tariff classification and has a dedicated classification under ITC HS Code 39041010. The Authority called for transaction-by-transaction data from the DGCI&S & the DG Systems and found that despite having a dedicated code 39041010, imports of the product under consideration have been reported under various HS codes. Therefore, for the purpose of these provisional measures, the Authority has also considered the following HS Codes:

S. No.	HS Code
1.	39041010
2.	39041020
3.	39041090
4.	39042100
5.	39042200
6.	39043010
7.	39043090

8.	39049000
9.	39044000
10.	39049090

14. Therefore, the Authority provisionally holds that the product under consideration is the same as was defined in the initiation notification and is as under:

“3. The product under consideration for the present investigation is 'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin.

4. PVC Paste Resin is produced using vinyl chloride monomer and is usually sold in the form of white/off-white powder. The PUC is primarily used for manufacturing artificial leather and the other uses of the product are in the manufacturing of rexene, coated fabrics, tarpaulins, conveyer beltings, toys, automotive sealant, adhesives, and gloves.

5. The following products are excluded from the scope of the PUC:

- a) Production under consideration with a K value below 60K*
- b) PVC Blending Resin*
- c) Co-polymers of PVC Paste Resin*
- d) Battery separator resins*

15. As per the information available on record, the Authority notes that the product produced by the domestic industry is like article to the product under consideration imported from the subject countries. The product produced by the domestic industry is comparable to the goods imported from the subject countries in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably. Thus, the Authority provisionally holds that the product manufactured by the domestic industry constitutes the like article to the subject goods being imported into India from the subject countries in the terms of Rule 2(d).

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 Submissions made on behalf of the opposing interested parties.

16. The opposing interested parties have not made any submissions on the issue of the domestic industry and standing of the domestic industry.

D.2 Submissions made on behalf of the domestic industry.

17. The applicant has submitted as follows with regards to the scope of the domestic industry and standing:

- a. The present application has been filed by Chemplast Sanmar Limited.
- b. The application is supported by Finolex Industries Limited.
- c. The applicant and the supporter are the only producers of the product in India.
- d. The applicant has not imported the product under consideration. It is not related to any producer/exporter in any of the subject countries or to any importer of the product under consideration in India.

D.3 Examination by the Authority.

18. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines the domestic industry as under:

"(b) "the domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'the domestic industry' may be constructed as referring to the rest of the producers".

19. The Authority notes that the applicant, M/s Chemplast Sanmar Limited, together with the supporter, M/s Finolex Industries Limited, constitute 100% of the total Indian production.

20. It is also seen that the applicant has not imported the product under consideration. Further, it is not related to any producer/exporter from the subject countries and is not related to any importer of the subject goods in India.

21. Therefore, the Authority preliminarily concludes that the applicant, M/s Chemplast Sanmar Limited, constitutes the 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and considers that the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3).

E. CONFIDENTIALITY**E.1 Submissions made on behalf of the opposing interested parties.**

22. The opposing interested parties have made the following submissions on confidentiality.
- a. Support letter from Finolex Industries Limited has been claimed completely confidential without providing information on the trend of production and sales.

E.2 Submissions made on behalf of the domestic industry.

23. The domestic industry has submitted as follows with regards to confidentiality.
- b. The non-confidential version of the questionnaire response is required to contain the confidential information adequately summarized. However, the non-confidential responses filed by the participating producers have not been adequately summarized.
- c. The producers have filed responses in violation of Trade Notice 10/2018 and therefore, their response should be rejected.
- d. Formosa Industries (Ningbo) Co., Ltd. has not reported the list of adjustments in the domestic or export selling price, channel of distribution, list of related parties engaged in the production and sale of the product under consideration, list of raw materials and reply to whether raw material has been purchased captively.
- e. Shenyang Chemical Co., Ltd., and Linkland Enterprise Shanghai Co., Ltd have not reported the list of adjustments claimed in normal value and export price.
- f. Thai Polyethylene Co., Ltd. and TPC Paste Resin Co Ltd. have not reported the list of adjustments in the domestic or export selling price, channel of distribution, list of related parties engaged in the production and sale of the product under consideration, list of raw materials and reply to whether raw material has been purchased captively.

E.3 Examination by the Authority

24. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties as per Rule 6(7) and Trade Notice 10/2018 dated 7th September 2018 read with Trade Notice 01/2020 (as extended by the Authority till further notice).
25. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of AD Rules, 1995 provides as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and subrule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated the Authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the Designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The Designated Authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to Designated Authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the Designated Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

26. The Authority takes note of the submissions made by the applicant with respect to the confidentiality claims of the interested parties and is of the view that the interested parties in their NCV versions of their responses have not even disclosed the specific terms under which adjustments have been claimed by them to arrive at the normal value and the export price. The interested parties have summarily claimed the entire information as ‘business sensitive/propriety information’. The Authority, therefore, considers such claims to be excessively confidential which has prevented the domestic industry from making any meaningful comments on the same.
27. The Authority will provide an opportunity to all the interested parties to submit the revised NCV version after making the appropriate changes as mentioned above.

F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DUMPING MARGIN**F.1 Submissions made on behalf of the opposing interested parties.**

28. The opposing interested parties have submitted as follows with regards to market economy treatment, normal value, and export price:

15 years for disregarding the domestic prices or costs of Chinese producers not being on market economy conditions as provided in para 15(a)(ii) of the Protocol of Accession of the People's Republic of China to WTO, has expired on 11th December 2016 in terms of para 15(d).

- a. Formosa Industries (Ningbo) Co., Ltd., has claimed Market Economy treatment/status and has accordingly filed Supplementary Questionnaire for Market Economy status.
- b. The domestic industry has inflated the normal value by adopting its own cost of production.

F.2 Submissions made on behalf of the domestic industry.

29. The domestic industry has submitted as follows with regards to market economy treatment, normal value, and export price:

- a. Even though the provisions of Article 15(a)(ii) have expired, WTO members are required to consider domestic prices or costs in China PR only if the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product as per Article 15(a)(i), which the Chinese producers in the present case have not shown.
- b. No verifiable evidence of the actual selling price or cost in a market economy third country is available for determining normal value for China PR.
- c. The product under consideration does not have a dedicated code in majority of the countries and therefore, normal value cannot be determined based on import or export price from these countries.

F.3 Examination by the Authority.**Market economy treatment**

30. The authority considers that Formosa Industries (Ningbo) Co., Ltd, China PR has not conclusively established that the prices of inputs relating to utilities are reflective of market price. Further, it is noted that the exporter has provided no information to establish that the investment made by the company in acquiring land and plant and machineries was not distorted due to possible State interference in this regard. The Authority considers that these parameters have direct bearing on the eventual cost of production. It is seen that the company has borrowed some loan from within China. The exporter has not provided any information to demonstrate that the cost incurred on this account are reflective of market rates. Further it is noted that the exporter has not shown whether there was any government intervention in acquiring the land on which the plant is set up.

31. It is thus noted that the information provided by the exporter does not conclusively establish that the decisions of the company regarding prices, costs and inputs, including cost of output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard. Therefore, the Authority has not accepted the claim of market economy treatment at this stage, pending further investigation and for the purpose of present preliminary determination.

32. Under section 9A(1)(c), the normal value in relation to an article means:

i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling, and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

(b) Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

33. The Authority notes that the following exporters of the subject goods have filed exporter's questionnaire responses: -
- Formosa Industries (Ningbo) Co., Ltd, China PR.
 - Grand Dignity Industrial Co. Ltd, China PR
 - Shenyang Chemical Co. Ltd., China PR.
 - Linkland Enterprise Shanghai Co., Ltd, China PR.
 - M/S Hanwha Solution Corporation, Korea RP.
 - Kaneka Paste Polymers SDN BHD, Malaysia.
 - Formosa Plastics Corporation, Taiwan.
 - Thai Polyethylene Co., Ltd, Thailand.
 - TPC Paste Resin Co., Ltd, Thailand.
34. The domestic industry has submitted that China PR was earlier a net importer of the product under consideration. The Covid outbreak had led to increase in the demand for the PVC based gloves which resulted into significant capacity expansion in China. However, as the demand of gloves eased down, the domestic demand of PVC paste resin declined significantly in China.
35. It has also been claimed that the demand supply situation has been further aggravated due to the decline in the demand of textile/apparel in China (zero Covid policy) and other European countries (due to inflation issues).

F.3.1 Sales pattern of participating producers from the subject countries.

36. In order to examine the submission made by the domestic industry, the Authority has examined the response filed by the participating producers. The table below shows the domestic sales of all the participating producers based on the response filed by them.

S.No.	Particular	UOM	2019	2020	2021	POI
1	Formosa Industries (Ningbo) Co. Ltd.	MT	***	***	***	***
		Trend	100	105	113	113
2	Shenyang Chemical Co. Ltd.	MT	***	***	***	***
		Trend	100	79	77	72
3	M/S Hanwha Solution Corporation	MT	***	***	***	***
		Trend	100	112	97	91
4	Kaneka Paste Polymers SDN BHD	MT	***	***	***	***
		Trend	100	365	86	96
5	Formosa Plastics Corporation	MT	***	***	***	***
		Trend	100	86	62	55
6	TPC Paste Resin, Ltd	MT	***	***	***	***
		Trend	100	102	94	94

37. It is seen that the domestic sales of all the producers have declined over the injury period. The decline in the domestic sales correlates with the submission of the domestic industry.

F.3.2 Normal value and export price for China PR.

F.3.2.a Normal value for China PR

Market Economy Status for Chinese Producers

- Formosa Industries (Ningbo) Co., Ltd, China PR.

38. Formosa Industrial Co. Ltd, China PR. has filed a questionnaire response and has claimed MET treatment.

39. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provision of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

40. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO, read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession Protocol require the criterion stipulated in Para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire for claiming the market economy status. The Authority has at this stage, not accepted the response filed by the market economy treatment claimed by the producer.

b. Shenyang Chemical Co. Ltd., China PR.

41. Shenyang Chemical Co. Ltd., China PR has filed a complete questionnaire response. The producer has exported directly as well as through exporter Linkland Enterprise Shanghai Co., Ltd. The producer has not claimed market economy treatment and therefore, its cost and selling price are not relevant.

42. The following producers from China had registered as interested parties in the investigation but not filed any response.

- a. CNSIG Jilantai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd
- b. China Salt Chemical Trading Co., Ltd
- c. CNSIG Inner Mongolia Sodium Industry Co., Ltd.
- d. CNSG Jilantai Polymer Materials Co., Ltd.
- e. Tianwei Chemical Co. Ltd.
- f. Ordos Junzheng Energy & Chemical Industry Co., Ltd

F.3.2b Export price for China PR.

a. Export price for Formosa Industrial Chemicals Co.

43. The producer has reported *** MT as exports of the product under consideration to India during the period of investigation. The producer has claimed that it has directly exported the product to India and no other related/unrelated party is involved in the export of the product under consideration. The producer has claimed adjustment on account of ocean freight, insurance, inland transportation, commission, COO charges, bank

charges and packing cost. The Authority has accepted the adjustments claimed by the respondent on a preliminary basis at this stage. The net export price so determined is shown in the table below.

b. Export price for Shenyang Chemical Co. Ltd

44. The producer has reported *** MT as exports of the product under consideration to India during the period of investigation. The producer has claimed that it has directly exported the product to India as well as through another unrelated exporter. The producer and exporter have claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other expenses, bank charges and packing cost. The Authority has accepted the adjustments claimed by the respondent on preliminary basis at this stage. The net export price so determined is shown in the table below.

c. Export price for non-cooperative exporters/producers

45. The export price for non-cooperative producers/exporters from China PR has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The net export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.3.3. Normal value and export price for Korea RP.

46. Hanwha Solution Corporation, Korea RP has filed a questionnaire response from Korea.

F.3.3a Normal value for Korea RP.

a. Normal value for responding producer – M/S Hanwha Solution Corporation

47. The producer has reported domestic sales of *** MT having a value of *** USD'000 in the period of investigation. The producer has claimed that all domestic sales are to unrelated parties. The producer has claimed adjustments on account of inland transportation, credit cost and packing cost. The cost of production as claimed by the respondent has been provisionally accepted at this stage and the Authority has carried out ordinary course of trade ("OCT") test.

48. The Authority has preliminarily accepted the claims made by the respondent at this stage with regard to adjustments in the normal value. The ex-factory normal value so determined has been mentioned in the dumping margin table below.

b. Normal value for non-cooperating producers.

49. The normal value for non-cooperative producers/exporters from the Korea RP has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.3.3b Export price for Korea RP.

a. Export price for responding producer – M/S Hanwha Solution Corporation

50. The producer has reported *** MT as exports of the product under consideration to India during the period of investigation. The producer has claimed that it has directly exported the product to India and no other related/unrelated party is involved in the export of the product under consideration. The producer has claimed adjustments on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation, domestic handling charge, domestic brokerage, credit cost, bank charges and packing cost. The Authority has accepted the adjustments claimed by the respondent on preliminary basis at this stage. The net export price so determined is shown in the table below.

b. Export price for non-co-operative exporters/producers.

51. The export price for non-cooperative producers/exporters from Korea RP has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The net export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.3.4 Normal value and export price for Malaysia.

52. Kaneka Paste Polymers SDN BHD, Malaysia has filed a questionnaire response from Malaysia.

F.3.4a Normal value for Malaysia.

a. Normal value for responding producer - Kaneka Paste Polymers SDN BHD

53. The producer has reported domestic sales of ***MT having a value of ***USD'000 in the period of investigation. The producer has claimed that all domestic sales are to unrelated parties. The producer has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, credit cost and packing cost. The cost of production as claimed by the respondent has been provisionally accepted at this stage and the Authority has carried out ordinary course of trade ("OCT") test.

54. The Authority has preliminarily accepted the claims made by the respondent at this stage with regard to adjustments in the normal value. The ex-factory normal value so determined has been mentioned in the dumping margin table below.

b. Normal value for non-cooperating producers.

55. The normal value for non-cooperative producers/exporters from the Malaysia has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.3.4b Export price for Malaysia

a. Export price for responding producer - Kaneka Paste Polymers SDN BHD

56. The producer has reported *** MT as exports of the product under consideration to India during the period of investigation. The producer has claimed that it has directly exported the product to India and no other related/unrelated party is involved in the export of the product under consideration. The producer has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, port and other expenses, inland transportation, credit cost and packing cost. The Authority has accepted the adjustments claimed by the respondent on preliminary basis at this stage. The net export price so determined is shown in the table below.

b. Export price for non-co-operative exporters/producers.

57. The export price for non-cooperative producers/exporters from Malaysia has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The net export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.3.5 Normal value and export price for Taiwan.

58. Formosa Plastics Corporation has filed a questionnaire response from Taiwan.

F.3.5a Normal value for Taiwan.

a. Normal value for responding producer - Formosa Plastics Corporation

59. The producer has reported domestic sales of *** MT having a value of *** USD'000 in the period of investigation. The producer has claimed that all domestic sales are to unrelated party. The producer has claimed adjustments on account of inland transportation, credit cost, packing cost, rebate and billing adjustment. The cost of sales as claimed by the respondents has been provisionally accepted and the Authority has carried out ordinary course of trade ("OCT") test. The Authority has preliminarily accepted the claims made by the respondent at this stage. The ex-factory normal value so determined has been mentioned in the dumping margin table below.

b. Normal value for non-cooperating producers.

60. The normal value for non-cooperative producers/exporters from the Taiwan has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.3.5b Export price for Taiwan.

a. Export price for responding producer Formosa Plastics Corporation

61. The producer has reported *** MT as exports of the product under consideration to India during the period of investigation. The producer has claimed that it has exported the product through unrelated exporter. The producer and the exporter have claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland transportation, documentation fee, harbor service fee, trade promotion fee, LC negotiation interest, commission, bank charge and packing cost. The Authority has accepted the adjustments claimed by the respondents on preliminary basis at this stage. The net export price so determined is shown in the table below.

b. Export price for non-co-operative exporters/producers.

62. The export price for non-cooperative producers/exporters from Taiwan has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The net export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.3.6 Normal value and export price for Thailand.

63. TPC Paste Resin Co., Ltd has filed a questionnaire response from Thailand.

F.3.6a Normal value for Thailand.

a. Normal value for responding producer - TPC Paste Resin Co., Ltd

64. The producer has reported domestic sales of *** MT having a value of *** USD'000 in the period of investigation. The producer has claimed that all domestic sales are to the related party. The producer has claimed adjustments on account of discount, inland freight, credit cost, brand logo cost, technical support charges and other expenses. The cost of sales as claimed by the respondents has been provisionally accepted

and the Authority has carried out ordinary course of trade (“OCT”) test. The Authority has preliminarily accepted the claims made by the respondent at this stage. The ex-factory normal value so determined has been mentioned in the dumping margin table below.

b. Normal value for non-cooperating producers.

65. The normal value for non-cooperative producers/exporters from Thailand has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The net normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.3.6b Export price for Thailand.

a. Export price for responding producer - TPC Paste Resin Co., Ltd

66. The producer has reported *** MT as exports of the product under consideration to India during the period of investigation. The producer has exported through the related trade. The producer and the trader have claimed adjustments on account of discount, inland transportation, credit cost, brand logo cost and technical support charges. The Authority has accepted the adjustments claimed by the respondents on preliminary basis at this stage. The net export price so determined is shown in the table below.

b. Export price for non-co-operative exporters/producers.

67. The export price for non-cooperative producers/exporters from Thailand has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The net export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.3.7 Normal value and export price for Norway.

68. M/s. Inovyn Norge AS and M/s Inovyn Europe Limited from Norway had registered as interested party. However, the producer and exporter did not file any questionnaire response. The producer had only requested for exclusion of BIOVYN grade from the scope of the product under consideration. The request made by the producer has been provisionally accepted at this stage. However, the producer has not filed any questionnaire response claiming an individual dumping and injury margin. Therefore, the producer has been treated as non-cooperative to that extent.

F.3.7.a Normal value for Norway.

69. The normal value for Norway has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.3.7.b Export price for Norway

70. The net export price for Norway has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The net export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.3.8 Dumping margin.

71. Based on the normal value and export price determined above, the dumping margin for the participating and non-participating producers has been determined and is shown below.

SN	Particular	PCN	Normal value	Net export price	Dumping margin	Dumping margin	Dumping margin
			USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	Range
1	China PR						
a	Formosa Industries (Ningbo) Co., Ltd	Average	***	***	***	***	60-70%
		Medium	***	***	***	***	60-70%
		High	***	***	***	***	60-70%
b	Shenyang Chemical Co. Ltd.	verage	***	***	***	***	20-30%
		Medium	***	***	***	***	40-50%
		High	***	***	***	***	10-20%
c	Any other		***	***	***	***	80-90%
2	Korea RP						
a	M/S Hanwha Solutions Corporation	Average	***	***	***	***	Negative
		Medium	***	***	***	***	Negative
		High	***	***	***	***	Negative

b	Any other		***	***	***	***	0-10%
3	Malaysia						
a	Kaneka Paste Polymers SDN BHD	Average	***	***	***	***	20-30%
		Medium	***	***	***	***	20-30%
		High	***	***	***	***	30-40%
b	Any other		***	***	***	***	30-40%
4	Taiwan						
a	Formosa Plastics Corporation	Average	***	***	***	***	10-20%
		Medium	***	***	***	***	0-10%
		High	***	***	***	***	10-20%
b	Any other		***	***	***	***	10-20%
5	Thailand						
a	TPC Paste Resin Co., Ltd	Average	***	***	***	***	10-20%
		Medium	***	***	***	***	30-40%
		High	***	***	***	***	0-10%
b	Any other		***	***	***	***	20-30%
6	Norway	Average	***	***	***	***	30-40%
		Medium	***	***	***	***	30-40%
		High	***	***	***	***	60-70%

G. INJURY AND CAUSAL LINK

G.1 Submissions made on behalf of the opposing interested parties.

72. The opposing interested parties have submitted as follows on the issue of injury and causal link:

- a. The imports are happening due to the huge demand-supply gap in India.
- b. The exporters have been able to increase their prices from Rs 75,047/MT in 2019-20 to Rs 100,872/MT in the period of investigation. The domestic industry cannot reasonably claim injury when prices of imports have increased.
- c. Trade remedial measures are meant to be temporary in nature. Anti-dumping duties have been in force on the import of the product for a long period. The duties expired only in July 2021, and fresh proceedings have been initiated after less than three years of unencumbered imports. Re-imposition of the duty will result in duties on PVC Paste Resin becoming nearly permanent.
- d. Pursuant to the Quality Control Order notified by the Government of India on 11 August 2023, BIS licenses have been mandated for imports of PVC Paste which will impact imports from all countries, including China PR.
- e. The applicant has claimed that their cost of sales has increased over the injury period but the raw material price has declined. If the cost of their primary raw material has declined, the overall cost of production should also decline.
- f. The decline in export price is due to the decline in cost of raw materials of the Chinese producers and not due to alleged dumping. The domestic selling price of Shenyang and Linkland is lower than their export price to India.
- g. The capacity, production and capacity utilization of the domestic industry do not show any decline over the injury period.
- h. Domestic sales of the domestic industry do not reflect any injury.
- i. The domestic industry's export sales have declined sharply from 1,383 in 2020-21 to 423 in 2021-22 and 113 in 2022-23.

- j. Average inventory of the domestic industry shows a decline which implies that it has been able to sell whatever it has produced.
- k. The number of employees has increased while salaries and wages have declined.
- l. Productivity of the domestic industry has increased in the period of investigation as compared to base year which shows no injury.
- m. The domestic industry claims to be planning capacity addition in 2023-24, but work has not even started on the expansion.

G.2 Submissions made on behalf of the domestic industry.

73. The domestic industry has submitted as follows on the issue of injury and causal link:
- a. Earlier China was a net importer of the product under consideration. However, due to the increased demand for PVC-based gloves during COVID, the Chinese producers expanded their capacity significantly.
 - b. As the pandemic abated, demand for PVC-based gloves also declined. Further, there is a general decline in demand for textile apparel in China (due to the zero-COVID policy) and in Europe (due to the impact of inflation on the demand). The decline in the demand has impacted the operations of the exporters.
 - c. The landed price of the subject imports has not moved in step with the variable cost. Till 2021-22, the landed price was above the cost of sales and there was no dumping. However, since then, exporters have resorted to aggressive pricing.
 - d. Imports in 2019-20 and 2020-21 were below the domestic industry's cost of sales. However, there were remedies through the anti-dumping duty that was in force at the time.
 - e. Due to the nature of the production process and costs associated with plant shutdown, keeping capacities idle is not a commercially viable option. Therefore, any producer would prefer lowering prices over suspending production. As a result, the real form of injury being suffered is price injury, not volume injury.
 - f. Imports are undercutting the prices of the domestic industry by a significant margin.
 - g. The domestic industry maintains a price list for its products which is periodically revised based on the prices of imports. In the period of investigation, there was a 40% increase in the number of price revisions as compared to previous years.
 - h. The landed prices are below the cost of sales of the domestic industry, leading to losses.
 - i. The dumped imports are having a depressive effect on the domestic industry's prices.
 - j. The contribution earned is negative. The domestic industry is not just sustaining losses on fixed costs, but on every additional unit produced.
 - k. The domestic industry has suffered financial losses, cash losses and negative return on capital employed.
 - l. The productivity and capacity utilization of the domestic industry have not declined. While employment and wages are not dependent on the performance of the product, the future of employment is dependent on the performance of the product.
 - m. The dumped imports have adversely affected the capacity of the domestic industry to raise capital and earn a return on the capital employed.
 - n. Considering the growing demand for the product in India, the domestic industry has undertaken capacity expansion of 43,000 MT. These decisions were taken when the market conditions were fair and remunerative with no dumping. However, dumping of the product has impaired the expansion plans of the domestic industry. Planned expansion of further 37,000MT has been shelved.

G.3 Examination by the Authority

74. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, '*... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...*'.
75. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been significant price undercutting of the domestic like article by the dumped imports, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

76. Further, it is not necessary that all parameters of injury must show decline for there to be a positive determination of injury. Some parameters may show injury while some may not. The Authority considers all injury parameters and then arrives at a conclusion as to whether the domestic injury has or is likely to be injured from the dumped imports.
77. The relevant submissions of the domestic industry and other interested parties made at this stage are examined below.

Cumulative assessment of imports

78. Article 3.3 of WTO agreement and Para (iii) of Annexure II of the AD provide that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
- The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article; and
 - Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
79. An import statement showing country wise import statement in the period of investigation is given below.

S. No.	Countries	Volume in MT				Share (%)
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2022-23
1	China PR	12,182	1,127	15,560	19,359	24%
2	Taiwan	11,402	1,325	11,048	13,060	16%
3	Thailand	8,162	6,168	9,752	10,462	13%
4	Korea Rp	6,380	1,104	5,111	10,143	12%
5	Malaysia	4,904	1,546	6,938	10,135	12%
6	Japan	7,767	5,019	6,265	5,043	6%
7	Norway	281	3,062	1,465	4,416	5%
8	EU	6,887	7,835	4,717	6,234	8%
9	U S A	11,037	7,573	3,583	1,958	2%
10	Colombia	3,152	5,212	314	324	0%
11	Hong Kong	160	-	26	112	0%
12	Vietnam Soc Rep	-	-	-	54	0%
13	U K	151	88	82	40	0%
14	UAE	44	81	54	-	0%
15	Singapore	-	54	-	-	0%
16	Mexico	672	1,320	-	-	0%
17	Russia	-	842	-	-	0%
18	Total	73,181	42,359	64,915	81,340	0%

80. The Authority notes that:
- Imports from China, Korea, Malaysia, Norway, Taiwan and Thailand are at dumped prices.
 - The margins of dumping from each of the subject countries are more than the *de minimis* limits prescribed under the Rules.
 - The imports from these countries are above the *de minimis* limits prescribed under the Rules.
81. In order to ascertain whether cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles, the following parameters have been examined:

- a. Products supplied by different parties are like articles and are comparable in properties.
- b. Domestically produced products and the imported products are interchangeable.
- c. There is direct competition between the domestic product and the imported product and inter-se between the imported products.
- d. Consumers are using domestic material and imported material interchangeably and the exporter and the domestic industry have sold the same product to same set of customers.
- e. Import price from the subject countries have moved in tandem.

82. The import price from the subject countries (CIF basis) is given below:

S. No.	Countries	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	China PR	Rs/MT	69,490	91,909	1,39,949	96,687
2	Taiwan	Rs/MT	75,503	97,081	1,21,759	98,249
3	Thailand	Rs/MT	78,750	97,277	1,43,935	1,01,433
4	Korea Rp	Rs/MT	78,542	82,299	1,48,664	1,02,615
5	Malaysia	Rs/MT	77,243	80,137	1,31,790	1,06,569
6	Norway	Rs/MT	75,247	71,720	1,33,251	92,502

83. It is seen that the import price from the subject countries have moved in tandem with each other. The import price in the period of investigation have increased as compared to the base year. Further, as compared to the immediately preceding year, the import price has declined in the period of investigation.

84. The table below shows the import volumes from the subject countries over the injury period.

S. No.	Countries	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	China PR	MT	12,182	1,127	15,560	19,359
2	Taiwan	MT	11,402	1,325	11,048	13,060
3	Thailand	MT	8,162	6,168	9,752	10,462
4	Korea Rp	MT	6,380	1,104	5,111	10,143
5	Malaysia	MT	4,904	1,546	6,938	10,135
6	Norway	MT	281	3,062	1,465	4,416

85. It is seen that the import volume from the individual subject countries has moved in tandem with each other. When the demand declined in 2020-21, the imports from all the subject countries (barring Norway) declined. The import volume from the subject countries have increased in the period of investigation as compared to the immediately preceding year which shows the degree of competition between the imports from various sources.

86. The Authority has examined the transaction wise import data and found that the consumers have imported from the subject countries interchangeably. Furthermore, the domestic industry and the exporters have sold the same product to same set of customers. The domestic producers and exporters from the subject countries sell the like product to the same category of customers and both are competing in the same market. Both products are being used by the consumers interchangeably.

87. Rule 14 requires an investigation to be terminated against imports if the margin of dumping is less than two per cent of the export price. It is noted that the Authority has provisionally accepted the exporter's data without any detailed verification at this stage and has determined the dumping margin accordingly. Such determination, without any detailed verification of the exporter's data, has revealed the dumping margin for the said exporter to be *de minimis*. The Authority will undertake detailed verification at the time of issuance of the final findings. In view of the above, the Authority is not terminating the subject investigation against the said exporter at this stage.

88. In view of the above, the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effects of dumped imports of the product under consideration from the subject countries on the domestic industry.

89. Vide Notification No- 27/2016 dated 23rd June 2016, anti-dumping duties were in force on the imports of the product under consideration from China PR, Japan, Korea RP, Malaysia, Russia, Taiwan and Thailand. The

duties expired on 22nd June 2021. Therefore, the prices in the year 2019-20 and 2020-21 were impacted by the anti-dumping duties in force. Therefore, the Authority has found it appropriate to compare the cost of sales and selling price of the domestic industry with the import prices in the period of investigation.

G.3.1 Assessment of the demand

90. The Authority has determined the demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the domestic industry, the supporter and imports from all sources.

S. No.	Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Sales of the domestic industry	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	97	101	107
2	Sales of supporter	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	92	68	62
3	Imports from the subject countries	MT	43,310	14,333	49,874	67,575
	Trend	Indexed	100	33	115	156
4	Import from other countries	MT	8,162	6,168	9,752	10,462
	Trend	Indexed	100	76	119	128
5	Demand/consumption	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	74	103	120

91. It is seen that the total demand decreased in 2020-21 due to the outbreak of COVID-19. The demand has posted a steady increase after 2020-21.

G.3.2 Volume effect of dumped imports.

92. The effect of the volume of dumped imports from the subject countries has been examined to ascertain whether imports have increased either in absolute terms or in relation to production or consumption in India.

93. The volume of imports from various countries in absolute terms and in relation to production and consumption is as under:

S. No.	Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	The subject countries	MT	***	***	***	***
2	Subject imports in relation to:					
a	Indian production	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	36	116	149
b	The demand	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	45	111	130
c	Total Imports	%	84%	70%	84%	87%

94. It is seen that the imports of the product under consideration declined in 2020-21 as the demand declined. However, with the increase in the demand in 2021-22, the imports have increased again. The imports have further increased in the period of investigation. The imports from the subject countries have increased in absolute terms and in relation to production, consumption and total imports. It is also seen that the imports have increased with the increase in demand and supply gap in the country.

G.3.3 Price effect of dumped imports

95. With regard to the effect of dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been significant price undercutting by the allegedly dumped imports as compared to the price of the like product in India or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product from the subject countries and the average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at ex-factory level.

i. Price undercutting

96. The Authority compared the landed price of imports with the net sales realisation of the domestic industry.

S. No.	Particulars	Net Sales Realisation Rs/MT	Landed Price Rs/MT	Price Undercutting Rs/MT	Price Undercutting Rs/MT	Price Undercutting Rs/MT
1	China PR	***	1,05,768	***	***	0-10%
2	Taiwan	***	1,07,300	***	***	0-10%
3	Thailand	***	1,08,927	***	***	0-10%
4	Malaysia	***	1,16,613	***	***	Negative
5	Korea RP	***	1,11,059	***	***	Negative
6	Norway	***	1,05,376	***	***	0-10%
7	Average	***	1,08,035	***	***	0-10%

97. It is seen that barring Malaysia and Korea RP, landed price of imports is below the prices of the domestic industry. Subject imports are undercutting the cost of sales as well as the selling price of the domestic industry.


ii. Price suppression/depression

98. The table below shows the changes in the cost of sales, selling price and landed price of imports.

S. No.	Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
2	Selling price	₹/MT	***	***	***	***
3	Landed Price	₹/MT	81,932	95,907	1,49,961	1,08,035
	Changes					
4	Cost of sales	₹/MT	-	***	***	***
5	Selling price	₹/MT	-	***	***	***
6	Landed Price	₹/MT	-	13,975	54,054	-41,926
	Trend					
7	Cost of sales	Index	100	106	140	148
8	Selling price	Index	100	121	160	113
9	Landed Price	Index	100	117	183	132

99. It is seen that in the year 2019-20, the landed price of imports was below the cost of sales and selling price of the domestic industry. However, this was the period when anti-dumping duty was in force. In 2020-21, the cost of sales has increased by around Rs *** per MT (6 index points). The selling price increased by Rs *** (21 index points). This was due to the increase in the landed price of imports. In the year 2021-22, the cost of sales and selling price further increased.

100. In the period of investigation, while the cost of sales has increased by Rs *** per MT, the selling price has declined. The decline in selling price was due to the decline in the landed price of imports. The decline in landed price was higher than the decline in cost. The imports were undercutting the cost of sales as well as the selling price of the domestic industry.



101. It has also been submitted by the domestic industry that it had to make [**] price revisions during the period of investigation to keep pace with the continuously declining landed prices.
102. Therefore, the Authority provisionally concludes that selling price of the domestic industry has been depressed due to the dumped imports.

G.3.4 Economic parameters related to the domestic industry

i. Capacity, capacity utilisation, production and domestic sales

103. The following table shows capacity, production, capacity utilisation, domestic sales, export sales by the domestic industry over the injury period.

S. No.	Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Capacity	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	100	100	100
2	Production	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	91	99	105
3	Capacity Utilization	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	91	99	105
4	Domestic Sales	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	97	101	107
5	Export sales	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	1,383	423	113

104. It is seen that:
- The capacity with the domestic industry has remained constant throughout the injury period. However, it has been stated that the domestic industry has expanded capacity in the post period of investigation. The domestic industry has increased its capacity by 43,000 MT.
 - The production and domestic sales of the domestic industry declined in 2020-21 due to decline in demand. The production and domestic sales have increased thereafter.
 - The exports of the domestic industry have declined and are insignificant in volume over the injury period. It is seen that the primary market for the domestic industry is the domestic market.

- d. The domestic industry has submitted that because of the nature of the production process involved, suspension of the production in itself is a significant cost to the industry and any PVC paste producer will prefer to continue to produce and sell at lower prices rather than suspend its production.
- e. The Authority notes that starting and stopping the complex chemical processes in a PVC resin plant can be expensive and time-consuming. This includes energy costs, potential material waste, and labour requirements. Frequent shutdowns and startups can increase wear and tear on machinery, potentially leading to higher maintenance costs and reduced equipment lifespan. Continuous operation helps maintain stable temperatures and pressures, which is ideal for the consistent production of high-quality PVC paste resin. Continuous operation also maximizes overall production output, which can help lower unit costs.
- f. The domestic industry has not claimed volume injury.

ii. Inventories

105. The following table shows the opening, closing and average inventory of the domestic industry during the injury period.

S. No.	Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Opening inventory	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	***	***	***	***
2	Closing inventory	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	***	***	***	***
3	Average Inventory	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	76	17	35

106. It is seen that the closing inventory was high in the period of investigation due to COVID shutdowns. The closing inventory was declined in 2020-21 and has increased thereafter.

iii. Market share

107. The following table shows market share distribution in the Indian market over the injury period.

S. No.	Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Share of the domestic industry	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	132	98	89
2	Share of other producers	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	125	65	51
3	Share of the subject countries	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	45	111	130
4	Share of other countries	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	103	115	107

108. It is seen that the market share of the domestic industry increased in 2020-21 but has declined in the period of investigation. The market share of the subject countries declined in 2020-21 when the imports declined but has increased thereafter. The increase in the market share of the subject countries is also attributable to the demand and supply gap.

iv. Profit/loss, cash profit and return on capital invested.

109. The information regarding profitability is given below: -

S. No.	Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Profit/ (loss)	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	227	293	-125
2	Profit/ (loss)	₹ Lacs	***	***	***	***

	Trend	Indexed	100	220	296	-134
3	Cash Profit	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	192	254	-102
4	Profit before Interest and Tax (PBIT)	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	253	253	-84
5	Return on Capital Employed (ROCE)	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	258	217	-77

110. It is seen that:

- a. The profitability of the domestic industry improved till 2021-22 but has declined thereafter. The domestic industry has suffered financial losses in the period of investigation.
- b. The domestic industry has also suffered cash losses and negative return on capital employed.

111. The domestic industry has also claimed that such has been the adverse impact of the dumped imports that the domestic industry has been forced to sell below its variable cost. The table below shows the contribution earned by the domestic industry. Contribution has been calculated as selling price less raw material cost, utility cost, packing cost and other variable expenses.

S. No.	Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Net sales realisation	Rs/MT	***	***	***	***
2	Variable cost	Rs/MT	***	***	***	***
3	Contribution	Rs/MT	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	167	168	-12

112. It is seen that the domestic industry's contribution increased till 2021-22 but has declined in the period of investigation. The contribution earned is negative in the period of investigation. Negative contribution shows that the adverse impact of the dumped imports is so significant that the domestic industry has been unable to fetch the cost incurred to produce each unit.

v. Employment, wages and productivity.

113. The information regarding employment, wages and productivity is given below: -

S. No.	Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	No. of employees	Nos.	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	96	102	105
2	Salaries & Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	87	84	94
3	Productivity per day	MT/Days	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	91	99	105
4	Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	95	97	100

114. It is seen that the number of employees has increased steadily over the injury period. The wages paid declined in 2020-21 and 2021-22 but increased thereafter. The productivity has moved in line with the production. The domestic industry has stated that third plant will come up if the performance of the product is reasonable enough to justify return.

vi. Growth.

115. The information regarding growth is given below: -

S. No.	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	POI
1	Production	%	-9%	9%	6%
2	Sales	%	-3%	4%	6%
3	Profit/(Loss) per unit	%	127%	29%	-143%
4	Inventory	%	-24%	-77%	101%
5	Market Share	%	32%	-26%	-9%
6	Profit Before Tax	%	120%	34%	-145%
7	Cash Profit	%	92%	32%	-140%
8	Profit Before Interest and Tax	%	153%	0%	-133%
9	Return on Investment (ROI)	%	158%	-16%	-135%

116. It is seen that that volume parameters showed a negative growth in the 2020-21 when the demand declined. The price parameters showed a positive growth in 2020-21. The year 2021-22 has seen a positive growth in almost all the parameters except return on investment and inventory. The period of investigation has seen a negative growth in all the price parameters. While the volume parameters have not shown a negative growth, it has been submitted that considering the nature of the product, it is not possible to suspend production.

vii. Ability to raise capital investment.

117. The domestic industry is in losses and operating at negative returns at capital employed. Therefore, the Authority provisionally holds that dumping of the product under consideration in the Indian market has impacted the ability to raise capital investment of the domestic industry.

viii. Margin of dumping.

118. The margin of dumping may be an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry. The Authority has provisionally determined, as a part of this preliminary findings that the dumping margin of the cooperating exporters is significant during the period of investigation.

ix. Factors affecting prices of the domestic industry.

119. It is seen that barring the domestic industry, there is one other producer of the product in India which has supported the application. The capacity of the other producer is quite low considering the demand in the country. Therefore, the other producer cannot be a factor which has affected the prices of the domestic industry.

120. The landed prices are below the cost and selling price of the domestic industry. The landed price imports are depressing the prices of the domestic industry as a result of which the domestic industry has suffered financial losses. Therefore, the Authority provisionally holds that dumped imports are the only factor which are impacting the domestic prices.

x. Conclusions on injury

121. On the basis of the above analysis, the following can be provisionally concluded: -

- The volume of imports from the subject countries has increased in the period of investigation. The imports have increased in absolute terms and relative terms. However, the increase in the imports was due to large demand and supply gap in the country.
- The landed price of import is below the selling price of the domestic industry in the period of investigation resulting in positive price undercutting.
- The selling price of the domestic industry have not moved in line with the cost of sales. The low priced imports have prevented the domestic industry from increasing prices. The low priced imports have depressed the prices of the domestic industry.
- The domestic industry has not suffered injury on volume parameters. The production and sales of the domestic industry have improved. The injurious impact of the dumped imports is felt on the price parameters only.
- The domestic industry is incurring financial losses, cash losses and a negative return on capital employed.
- The domestic industry has suffered negative contribution in the period of investigation.

- g. The dumping of the product under consideration has impaired the expansion plans of the domestic industry.

H. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS.

122. As per the Rules, the Authority, *inter-alia*, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. The factors which may be relevant in this respect include, *inter-alia*, the volume and prices of the imports not sold at dumped prices, contraction in the demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury.
- a. Volume and price of imports from third countries.
123. In addition to the subject countries, imports above *de-minimis* limits are from European Union and Japan.
- a. It is seen that the imports from Japan have declined in the period of investigation. Furthermore, the import price from Japan is higher than the import price from the subject countries and the selling price of the domestic industry. Therefore, imports from Japan could not have been a cause of injury suffered by the domestic industry.
- b. It is seen that the imports from European Union have not shown any particular trend over the injury period. When the imports from the subject countries declined in the year 2020-21, the imports from European Union increased. While the imports from European Union have increased in the period of investigation, they are lower as compared to their level in 2019-20 and 2020-21. Further, it is also seen that the import price from European Union is relatively higher as compared to the import price. Therefore, imports from European Union could not have been a cause of injury suffered by the domestic industry.
- b. Contraction in the demand
124. There has been a constant rise in the demand of the product concerned throughout the injury period. Therefore, decline in the demand is not a possible reason of injury to the domestic industry.
- c. Pattern of consumption
125. No significant change in the pattern of consumption has come to the knowledge of the Authority, nor any interested party has made any submission in this regard.
- d. Conditions of competition
126. There appears to be no such conditions of competition or trade restrictive practices that can be a cause of the claimed injury to the domestic industry.
- e. Developments in technology
127. There appears to be no developments in technology, which could have caused injury to the domestic industry.
- f. Export performance of the domestic industry
128. The price and profitability in the domestic and export market has been segregated by the Authority for the purpose of present injury assessment. Therefore, the analysis on injury is not misrepresentative due to possible inclusion of export performance.
129. It is seen that there are no other factors which could have caused material injury to the domestic industry. Therefore, the Authority provisionally holds that the material injury to the domestic industry has been caused by dumped imports as is established by below.
- a. The cost of sales of the domestic industry has increased whereas the landed price of imports has declined. The landed price of imports is significantly below the cost of sales and the selling price of the domestic industry.
- b. The domestic industry has been forced to reduce its price in line with the decline in the landed price. The domestic industry has made [***] price revisions in the period of investigation.
- c. Continuous increase in the import at declining prices has resulted into the subject imports undercutting and depressing the prices of the domestic industry.

- d. The price pressure caused by the dumped imports has led to financial losses, cash losses and a negative return on capital employed. The domestic industry has operated with negative contribution.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN.

130. The Authority has determined the non-injurious price for the applicants on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the applicants. The non-injurious price has been compared with the landed price of the product under consideration from the subject countries for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best quarterly utilization of the raw materials and utilities and best quarterly utilization of production capacity has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses and/or assets have been excluded from the cost of production and/or NIP. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) deployed for the product under consideration has been allowed for recovery of interest, corporate tax and profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules.

S. No.	Particular	PCN	NIP	Landed price	Injury margin	Injury margin	Injury margin
			USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	Range
1	China PR						
a	Formosa Industries (Ningbo) Co., Ltd	Total	***	***	***	***	50-60%
		Medium	***	***	***	***	40-50%
		High	***	***	***	***	50-60%
b	Shenyang Chemical Co. Ltd.	Total	***	***	***	***	0-10%
		Medium	***	***	***	***	20-30%
		High	***	***	***	***	Negative
c	Any other	Average	***	***	***	***	50-60%
2	Korea RP		***	***	***	***	
a	M/S Hanwha Solutions Corporation	Total	***	***	***	***	20-30%
		Medium	***	***	***	***	20-30%
		High	***	***	***	***	20-30%
b	Any other	Average	***	***	***	***	30-40%
3	Malayasia		***	***	***	***	
a	Kaneka Paste Polymers SDN BHD	Total	***	***	***	***	20-30%
		Medium	***	***	***	***	20-30%
		High	***	***	***	***	20-30%
b	Any other	Average	***	***	***	***	30-40%
4	Taiwan		***	***	***	***	
a	Formosa Plastics Corporation	Total	***	***	***	***	30-40%

		Medium	***	***	***	***	20-30%
		High	***	***	***	***	30-40%
b	Any other	Average	***	***	***	***	30-40%
5	Thailand		***	***	***	***	
a	TPC Paste Resin Co., Ltd	Total	***	***	***	***	20-30%
		Medium	***	***	***	***	30-40%
		High	***	***	***	***	10-20%
b	Any other	Average	***	***	***	***	20-30%
			***	***	***	***	
6	Norway	Total	***	***	***	***	20-30%
		Medium	***	***	***	***	20-30%
		High	***	***	***	***	40-50%

J. ISSUES OF THE INDIAN INDUSTRY

J.1 Submissions made on behalf of the opposing interested parties.

131. The opposing interested parties have submitted as follows on the issue of Indian industry.

- a. There is a huge demand supply gap, and the users are forced to import the product.
- b. Anti-dumping duty were imposed on the product in the past as well and the protection by way of such measures were not utilized by the domestic industry to expand their capacity even by this time.
- c. If the anti-dumping measures are imposed, the cost of production of the downstream industry will go up by 10-15%.
- d. It is the inability of the domestic industry to supply all the required grades in required quantity that forces the users to import.
- e. Several thousand end users in India are mostly in MSME category and the imposition of anti-dumping duty will adversely impact them.
- f. Government of India is in the process of implementing mandatory standard certification requirement on PVC Paste Resin which will create a non-tariff barrier. Anti-dumping duty should be imposed keeping in mind the BIS standard proposed.
- g. The domestic industry has already enjoyed the benefit of anti-dumping duty on the product under consideration imported from various countries for more than 15 years in the past.

J.2 Submissions made on behalf of the domestic industry.

132. The domestic industry has submitted as follows on the issue of Indian industry.

- a. The domestic industry has undertaken capacity addition of 43,000 MT at a cost of Rs 350 Crore and is further undertaking capacity expansion of 35,000 MT. This will significantly bridge the demand and supply gap.
- b. The impact of 20% increase in the price of PVC Paste on end products will be insignificant. The impact in case of top segment car, footwear and sofa set will be 0.03%, 0.15% and 0.15% only.
- c. Synthetic leather is used only in high segment cars and not in case of low segment cars. Similarly, a consumer with a smaller pocket to spend on sofa will either buy a sofa with an average quality of synthetic leather wherein the share of the product under consideration is low or buy a sofa made out of fabric material only. Therefore, the impact of anti-dumping duty will not be felt by people with low paying capacity.
- d. The domestic industry has never taken the complete benefit of anti-dumping duties. Considering the duties in force in the past, the landed price including anti-dumping duty was higher than the selling price of the Indian industry.

- e. Duties have been imposed on the product in the past. Such imposition did not have any adverse impact at the time. Further, even the expiry of the duties failed to have a positive effect. The demand for the product has grown consistently even when the duties were in force.
- f. The competitiveness of the downstream industries is unlikely to be impacted as exports of downstream products have remained consistent from the period when duties were in force to when duties expired.
- g. Profits of the downstream industry move independently of the price of PVC paste. The profits earned from sales of artificial leather increased even when the price of PVC paste increased.
- h. The downstream industry is a pass-through industry.
- i. For artificial leather fabrics, the share of the product under consideration in the total cost is only 22%.
- j. The CIF import price from the subject countries was Rs 1,33,427 per MT in 2021-22. Even after considering the anti-dumping measures, the landed price of imports will not increase to that level.
- k. The product supplied by the domestic industry has a lower lead time as compared to the imported product. In fact, the average sea freight time from the subject countries ranges from 10 to 22 days.
- l. The duty will not lead to a supply shortage as the domestic industry is undertaking capacity additions and the product under consideration is also imported from non-the subject countries at non-dumped prices.
- m. The domestic industry has *** MT plant of ethylene di chloride and the entire production is consumed in the product. If the plant of the product under consideration is shutdown or production is suspended, it will adversely affect the ethylene di chloride plant as well.
- n. Imposition of duty will create a level playing field and allow the domestic industry to compete in the market on fair terms and salvage their sharply deteriorating financial standing.
- o. The purpose of anti-dumping duties is also recognized by the Hon'ble Supreme Court in Reliance Industries Ltd. v. The Designated Authority [2006 (202) E.L.T. 23 (S.C.)] wherein it was highlighted the role played by the anti-dumping law help in helping achieve India's national aim of creating a modern, highly industrialized, powerful state.


G.3 Examination by the Authority.

133. The Authority underscores that the primary objective of anti-dumping duties is to rectify the injury inflicted upon the domestic industry by the unjust trade practices of dumping, thereby fostering an environment of open and equitable competition in the Indian market. The recommendation, if any, of anti-dumping measures is not designed to curtail imports from the subject countries arbitrarily. Rather, it is based on a detailed analysis regarding dumping, injury and the causal link between the two and is a mechanism to ensure a level playing field. It is crucial to note that the essence of fair competition in the Indian market will remain unscathed by the presence of such measures. Far from diminishing competition, the anti-dumping measures serve to prevent the accrual of unfair advantages through dumping practices. It safeguards the consumers' access to a broad selection of the product under consideration. Thus, anti-dumping duties are not a hindrance but a facilitator of fair-trade practices.
134. The Authority issued initiation notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and others. The Authority also prescribed a questionnaire for the users/ consumers to provide relevant information about the present investigation including any possible effects of anti-dumping duty on their operations. The Authority issued gazette notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the consumers to provide relevant information with regard to the present investigations, including effect of an antidumping duty on their operations. The Authority sought information on interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the domestic industry to switch sources, effect of anti-dumping duty on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by imposition of anti-dumping duty.
135. The following users registered themselves as an interested party in the present investigation.

S. No.	User/importer of the product under consideration in India
1	AC Polycoaters Private Limited
2	Aritas Vinyl Private Limited
3	Arora Vinyl Private Limited
4	AV Unicoaters Private Limited
5	Beeta Poly Coats Private Limited
6	Delite Collections Private Limited
7	Jasch Industries Limited

8	Klassik Lamitex Private Limited
9	Marvel Vinyls Limited
10	Mayur Uniquoters Limited
11	Polynova Industries Limited
12	Premier Poly film Limited
13	Prerna Rex Private Limited
14	Prerna Rex Private Limited
15	RMG Polyvinyl India Limited
16	Shiv Polymers

136. The Authority has examined the submissions made by all the interested parties.
137. As regards the submission on huge the demand and supply gap, the Authority notes that the domestic industry has already undertaken capacity expansion of 43,000 MT at a cost of Rs 350 Crore. The domestic industry has additionally submitted that they had plans to further expand capacity by 35,000 MT. The domestic industry is currently catering to around ***% of the demand for the product in India. With the expansion already undertaken, it will be able to cater more than ***% the demand in the country. It is also seen that there is another producer catering to the demand in India and imports happening from various other sources as well. The Authority also notes that the demand-supply gap in the country does not bar the domestic industry from seeking redressal from dumped imports, nor it justify exports at dumping prices. As held by the CESTAT in the matter of DSM Idemitsu Limited vs. Designated Authority, the demand-supply gap does not justify dumping. The foreign producers can always meet the Indian the demand by selling the product at un-dumped prices. Even after the imposition of anti-dumping duty, the imports are not restricted in the country.
138. It is also seen that the imports of the product under consideration in the past were attracting anti-dumping duty. Based on the information on record, it is seen that despite there being anti-dumping duty, the demand for the product had continued to increase. While the demand decline in 2020-21, it was due to the Covid outbreak.



Source – EIQ filed by the domestic industry.

139. The domestic industry has provided the impact of anti-dumping duty on the eventual end product. It has been claimed that the downstream industry is a pass-through industry, and the impact of the anti-dumping duty will be on the end user. The domestic industry has provided the following impact.

S. No.	Final downstream good	Car (Top model in mid segment car)	Footwear	Sofa set
1	Cost of end product	11,00,000	1,000	75,000
2	Share of leather cloth in total cost	0.68%	3.50%	3.33%
3	Share of PVC paste in total cost	0.15%	0.77%	0.73%
4	Impact of 20% anti-dumping duties	0.03%	0.15%	0.15%

Source – EIQ filed by the domestic industry.

140. Based on the information on record, it is seen that the impact of duties will be insignificant.
141. The domestic industry has additionally claimed that the price of the product was higher in past, and the prices have declined only in the recent period. Even if anti-dumping duty of 20% is considered, the price including anti-dumping duty will be lower than the price in the past. Therefore, when the past high prices did not have any adverse impact on the users, the proposed measures will also not have any adverse impact. The Authority has examined the response filed by the participating users. It is seen that the downstream industry was earning healthy profits when the prices of the product under consideration were at all-time high.
142. Therefore, the Authority holds that though in the event of imposition of anti-dumping duties the price level of product in India may be affected but fair competition in the Indian market will not be reduced by such anti-dumping measures. On the contrary, the anti-dumping measures may mitigate the unfair advantage gained by dumping practices, which would arrest the decline of the domestic industry both material injury and would help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods.
143. Therefore, the Authority provisionally concludes that the imposition of anti-dumping duty will not have any adverse impact on public interest.

K. CONCLUSION & RECOMMENDATION

144. After examining the submission made by the interested parties and issues raised therein and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
- a. The product under consideration for the present investigation is 'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin.
 - b. PVC Paste Resin with a K value below 60K, PVC Blending Resin, Co-polymers of PVC Paste Resin and Battery separator resins are outside the scope of the product under consideration.
 - c. Biovyn produced by Innovyn Europe Ltd is outside the scope of the product under consideration at this stage.
 - d. Chemplast Sanmar Limited, constitutes 'the domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3).
 - e. Considering the normal value and export price for the product under consideration, the dumping margin for the product under consideration from the subject countries has been determined, and the margins are significantly positive. No reason has been provided by the exporters for such a significant degree of dumping.
 - f. The examination of the imports of the product under consideration shows that the volume of dumped imports from the subject countries have increased in the period of investigation. The imports have increased in both absolute terms and in relation to production and consumption.
 - g. The import price is below the selling price of the domestic industry resulting in price undercutting.
 - h. The import price has not moved in line with the cost of production which has prevented the domestic industry from increasing its prices in line with the increase in the cost of production. The imports have thus prevented the domestic industry from increasing its prices in line with the increase in the cost of production.
 - i. The domestic industry has not suffered injury on volume parameters. The production and sales of the domestic industry have improved. The injurious impact of the dumped imports is felt on the price parameters only.
 - j. The domestic industry is incurring financial losses, cash losses and a negative return on capital employed.
 - k. The domestic industry has suffered negative contribution in the period of investigation.
 - l. The dumping of the product under consideration has impaired the expansion plans of the domestic industry.
 - m. The injury margin determined for all the participating producers is positive.
 - n. The Authority has examined the submissions made by other parties on any other factors which could have caused injury to the domestic industry. No other factor appears to have caused injury to the domestic industry. The Authority preliminarily concludes that material injury suffered by the domestic industry has been caused by the dumped imports from the subject countries.
 - o. Imposition of anti-dumping duty would not affect the availability of the product to the customers. The imports of the product under consideration will continue to happen. The domestic industry has expanded its capacity and there are imports from non-the subject countries as well.
 - p. The Authority has quantified the impact of anti-dumping duty on the users. It is seen that the impact of the proposed measures on the eventual end consumers will be insignificant.

145. The Authority notes that investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers, and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury, causal link, and impact of recommended measures. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury, and causal link in terms of provisions laid down under the anti-dumping rules, the Authority is in view that imposition of provisional anti-dumping duty is required to offset the dumping and injury. The Authority considers it necessary and recommends imposition of provisional an anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries.
146. In terms of provision contained in Rule 12 and Rule 13 read with Rule 4(d) of the Rules, the Authority recommends imposition of provisional anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of provisional anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject countries, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below.

Duty Table

S. No.	Sub Heading or Tariff Item	Description of Goods	Country of origin	Country of Export	Producer	Duty (\$/MT)
1	2	3	4	5	6	7
1	39041010 39041020 39041090 39042100 39042200 39043010 39043090 39049000 39044000 39049090 ##	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	People's Republic of China	Any country including People's Republic of China	Formosa Industries (Ningbo) Co. Ltd.	546
2.	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	People's Republic of China	Any country including People's Republic of China	Shenyang Chemical Co. Ltd.	115
3	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	People's Republic of China	Any country including People's Republic of China	Any producer other than SN 1 and 2 mentioned above	600
4	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	Any	People's Republic of China	Any	600
5	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	Korea RP	Any country including Korea RP	Hanwha Solution Corporation	Nil
6	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	Korea RP	Any country including Korea RP	Any producer other than SN 5 mentioned above	41
7	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	Any	Korea RP	Any	41
8	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	Malaysia	Any country including Malaysia	Kaneka Paste Polymers SDN BHD	317

9	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	Malaysia	Any country including Malaysia	Any producer other than SN 8 mentioned above	375
10	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	Any	Malaysia	Any	375
11	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	Taiwan	Any country including Taiwan	Formosa Plastics Corporation	118
12	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	Taiwan	Any country including Taiwan	Any producer other than SN 11 mentioned above	168
13	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	Any	Taiwan	Any	168
14	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	Thailand	Any country including Thailand	TPC Paste Resin Co., Ltd	195
15	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	Thailand	Any country including Thailand	Any producer other than SN 14 mentioned above	252
16	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	Any	Thailand	Any	252
17	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	Norway	Any country including Norway	Any	328
18	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	Any	Norway	Any	328

#The brand name "Biovyn" produced by Innovyn Europe Ltd. is outside the scope of the product under consideration.

The customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.

L. FURTHER PROCEDURE

147. The procedure as below would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:-

- The Authority invites comments on these provisional findings from all the interested parties within 30 days from the publication of these findings and the same will be considered in the final finding.
- The Authority would conduct oral hearing in accordance with Rule 6(6) of the Rules to give an opportunity to all interested parties to present their views relevant to the investigation.
- The date of oral hearing will be announced on the DGTR website.
- The Authority would conduct further verification to the extent necessary.
- The Authority will disclose the essential facts as per the Rules before announcing the final findings.

ANANT SWARUP, Designated Authority